

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 10 नवम्बर 99

की

कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.11.99 में

विचारणीय विषयों की सूची

क्र०सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 07 जुलाई, 99 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2-	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 07 जुलाई, 99 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	12
3-	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।	31
4-	स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों से सम्बन्धित।	32
5-	हरदोई रोड योजना में रिवर व्यू सहकारी आवासीय समिति के अर्जनीय प्रकरण से सम्बन्धित।	33
6-	जनपथ मार्केट स्थित दुकान संख्या: बी-51 के बगल में स्थित 84.43 वर्ग मी० भूमि ग्राम विकास विभाग को आवन्तित किये जाने से सम्बन्धित।	48
7-	स्कूल भूखण्डों के आवन्तन से सम्बन्धित।	49
8-	सेनिक कल्याण भवन, 4-बी०एन० रोड पर आवास निर्माण हेतु रोड वाइडेनिंग से छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	56
9-	प्रियदर्शनी योजना में आंशिक भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	57
10-	गोमती नगर स्थिति विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किये जाने से सम्बन्धित।	58

- 11- गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाएँ भू-प्रयोग की भूमि को आवासीय प्रयोजन में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित। 59
- 12- गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवन्तित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीडा स्थल" से "वाणिज्यिक, खण्डीय विपणन केन्द्र" तथा सिविल सविसेज इंस्टीट्यूट को आवंटित भूमि के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीडा स्थल" व "वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र" से आवासीय परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। 60
- 13- उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 का संशोधित अधिनियम 1997 की धारा-26 ग की शक्तियों का प्रतिनिधायन। 61
- 14- मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एजेन्सी का निर्धारण करने से सम्बन्धित। 62
- 15- श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, अपर जिला जज, उन्नाव को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित भवन संख्या: अ-3/18 के स्थान पर विजयन्त खण्ड में "बी" श्रेणी के भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में। 63
- 16- डा० विजय शंकर शुक्ला को गोमती नगर योजना के विभव खण्ड में आवन्तित भूखण्ड संख्या: बी-3/212 पर लगाये गये दण्ड व्याज की पूर्ण धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में। 64
- 17- गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में भवन संख्या: 2/195 "ब" प्रकार पर लगाये दण्ड व्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में। 65
- 18- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 07 जुलाई, 1999
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक: 07 जुलाई,
1999 का कार्यवृत्त पुष्टि
हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ७ जुलाई, १९९९
का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

१.	श्री अरुण कुमार मिश्र	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल।
२.	श्री विनोद शंकर चौबे	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
३.	श्री एन. रविशंकर	आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद।
४.	श्री सदाकान्त	जिलाधिकारी, लखनऊ।
५.	श्री दिवाकर त्रिपाठी,	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
६.	श्री मुरलीधर	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
७.	श्री रामवृक्ष प्रसाद	संयुक्त सचिव, उ.प्र. शासन, आवास विभाग।
८.	श्री एम.पी. अनेजा	मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ.प्र.।
९.	श्री आर.सी. अस्थाना	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम(मध्य), लखनऊ।
१०.	श्री आर. प्रसाद	प्रतिनिधि, महानिदेशक, पर्यटन
११.	श्री बृजलाल रावत	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१२.	श्री विजय शंकर बाजपेयी	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१३.	श्री शिव कुमार	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१४.	श्रीमती उमाशंखरी लोधी	सदस्य/सभासद, नगर निगम।
१५.	डा. सियाराम	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
१६.	श्री राम अक्षर सिंह	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थिति:

१७.	श्री विशाल राय	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
-----	----------------	-----------------------------

.....

विषय संख्या: १

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९
के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : २ लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निर्मांकित निर्देश दिये गये-

१. इन्दिरागान्धी प्रतिष्ठान में कनवेंशनल सेन्टर/होटल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तों का अनुमोदन शासन स्तर से होने के उपरान्त, शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये।
२. हरदोई रोड योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एक माह के अन्दर सर्वेक्षण एवं कन्ट्रिंग की कार्यवाही पूर्ण कराकर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जाये।
३. बलब के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण पर यह जांच किये जाने के निर्देश दिये गये कि क्या किसी स्तर से किसी संस्था को १० एकड़ भूमि बलब निर्माण हेतु आवन्तित की गई है अथवा किसी संस्था को १० एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गया है। इस प्रकरण पर जांच कर तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिये गये।
४. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के अन्य बिन्दु के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विषय संख्या : ३ प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। प्रगति आख्या के अवलोकन के उपरान्त विकास से सम्बन्धित निर्मांकित बिन्दुओं पर चर्चा हुई तथा निर्देश दिये गये-

१. सीतापुर रोड, जानकापुरम में स्थित नाले में सहारा स्टेट के पानी के बहाव का प्रकरण उठाया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक को निर्देश दिये गये कि वे वर्तमान नाले की क्षमता का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
२. एक सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर रोड पर एक भी नाले की सफाई नहीं हुई है। इसके उत्तर में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नालों की सफाई वृहत स्तर पर जे.सी.बी. द्वारा कराई गई है और अभी सफाई का कार्य चल रहा है। छोटे-मोटे नालों की सफाई का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा।

३. एक सदस्य द्वारा कानपुर रोड स्थित पार्क में बेंसों के तबले को न हटाये जाने की शिकायत की गई। इसे शीघ्र ही हटवाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही पार्कों में किये गये अन्य अतिक्रमणों को भी हटाये जाने के निर्देश दिये गये।

४. कानपुर रोड एवं गोमती नगर स्थित सभी नालों की समुचित सफाई कराये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता श्री मेहरा को निर्देशित किया गया।

५. इस विषय पर भी विचार विमर्श हुआ कि पम्पिंग हेतु छोटे पम्प के स्थान पर बड़े पम्प जो अधिक क्षमता वाले हों उन्हें क्रय किया जाये।

६. नगर निगम द्वारा जो नालों की सफाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे प्राधिकरण द्वारा भी अपनाये जाने के विषय में विचार विमर्श हुआ तथा यह निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम से विचार विमर्श कर देख लिया जाये कि यदि वह व्यवस्था अच्छी है तो उसे प्राधिकरण में भी क्रियान्वित किया जाये।

विषय संख्या : ४

जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणार्थन १८ मी. चौड़ी सड़क में आ रही श्री अतीकुरहमान खान की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव का औपचारिक अनुमोदन।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय संख्या : ५

शौर्यचक्र से सम्मानित ले. कर्नल एम.सी.शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त राइफलमैन सुनीलजंग के पिता को निर्माण लागत पर बिना लाभ-हानि के वरीयता के आधार पर भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

शौर्यचक्र से सम्मानित ले. कर्नल एम.सी.शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त राइफलमैन सुनील जंग के पिता श्री नर नरायन जंग को वरीयता के आधार पर (आउट-राइट) भवन भूखण्ड आवण्टित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा भवन के विक्रय मूल्य में २५ प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

- विषय संख्या : ६ श्रीमती अर्चना कालिया को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्तित भवन के मूल्य में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले अन्य प्रकरणों की भांति श्रीमती कालिया को भी भवन के विक्रय मूल्य में २५ प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये।
- विषय संख्या : ७ भूखण्ड संख्या : ४ ए, ४ बी तथा ४ सी, मीराबाई मार्ग के भू-प्रयोग को "आवासीय" से "बाजार स्ट्रीट, व्यवसायिक" में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या : ८ सिन्डर्स डम्प आलमबाग में निर्माणाधीन अन्तर्जनपदीय बस टर्मिनल तथा व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : शासन के निर्देशानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- विषय संख्या : ९ लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ की संरचना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित प्रस्ताव।
- निर्णय : आवास आयुक्त श्री एन. रविशंकर तथा प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक द्वारा एजेन्सी चयन के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया तथा वर्तमान प्रगति के सम्बन्ध में समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राप्त हुए आफर्स में अत्यधिक वित्तीय भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव को आवास आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा सी.ई.एस., टाटा कन्सल्टेंट, राइट्स तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्तावों पर पुनर्विचार कर लिया जाये। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा महायोजना की संरचना हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिक तकनीकी विधाओं जैसे जी.आई.एस. एवं कमप्युटर आदि तथा यदि विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी है तो उसका प्रस्ताव भी प्राप्त करके परीक्षण किया जाये।
- विषय संख्या : १० दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : श्री बाबूराम शुक्ल एवं श्री राम नारायण पाण्डे पर भवन की क्रिस्टें विलम्ब से जमा करने के कारण लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ५० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ करने का जो अधिकार उपाध्यक्ष में निहित है, उसपर उपाध्यक्ष स्वयं निर्णय ले लें। बोर्ड द्वारा उपरोक्त ५० प्रतिशत के अतिरिक्त १० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : ११

हरवेई रोड योजना में २२०/१३२ के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आवन्तन से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि रु० ५१०.०० प्रति वर्ग मी. ही भूमि का मूल्य लगाया जाये। इससे कम मूल्य नहीं लगाया जा सकता। धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा जाये। यदि माननीय मन्त्री जी अथवा शासन द्वारा छूट दिये जाने का कोई निर्णय लिया गया है तो शासन को पत्र भेज कर उसकी पुष्टि कराई जाये और यदि शासन द्वारा किसी प्रकार की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है तो शासन से उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

विषय संख्या : १२

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनिस्तारित व्यवसायिक भवनों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कैलाशकुंज के ५८ आवन्तियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु उनसे सहमति प्राप्त कर शीघ्र कार्यवाही की जाये। व्यवसायिक भवनों के वर्तमान स्वरूप में कुछ परिवर्तन/परिवर्धन किये जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। यह भी अवगत कराया गया कि कुछ दुकानों के मुख्य द्वार सड़क की ओर खोले जाने से आकर्षण बढ़ सकता है। प्राधिकरण को अधिक आर्थिक छति न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : १३

एकमुश्त भुगतान की दशा में छूट दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि आवन्तन पत्र निर्गत होने की तिथि से ३० दिनों का समय जो प्रस्तावित किया गया है उसे ३० दिन के स्थान पर ४५ दिन रखा जाये।

विषय संख्या : १४

स्कूल भूखण्डों के आवन्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्कूल भूखण्डों हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक २६.६.९९ में की गई संस्तुतियां अनुमोदित की गई तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये-

१. विद्यालय की मान्यता हेतु न्युन्तम जितनी भूमि आवश्यक हो उतनी भूमि के आवन्तन हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
२. सीतापुर रोड एवं गोमती नगर में महाविद्यालय की स्थापना हेतु १०-१० एकड़ भूमि का नियोजन किया जाये। इसमें ५ एकड़ भूमि ग्रीनबेल्ट की तथा ५ एकड़ निर्माण हेतु सम्मिलित करके प्रस्ताव तैयार किया जाये।

- विषय संख्या : १५ गोमती नगर योजना विपुल खण्ड-२ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : सी.पी.-१ पर लगे ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विपुल खण्ड गोमती नगर की भूमि बहुत ही बहुमूल्य है, अतः ब्याज माफ़ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या : १६ गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या : सी.पी.-१ का आवन्तन मे. रोमिंत विल्डर्स के पक्ष में बहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
- निर्णय : निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष स्वतः विषय का अध्ययन करके अपनी संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
- विषय संख्या : १७ गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में मे. इन्डियन होटल्स क.लि. (तजग्रुप) को मनोरंजनात्मक पार्क हेतु लाइसेन्स के आधार पर आवन्तित २५ एकड़ भूमि से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत पार्क में जन सामान्य के प्रवेश हेतु कोई शुल्क न लगाया जाये।
- विषय संख्या : १८ मनीषा मन्दिर को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्तित भूमि में लॉज़रेन्ट को विलम्ब से जमा करने पर देय दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल निरीक्षण कर देखा जाये कि इस संस्था द्वारा क्या कार्य किये जा रहे हैं। यह भी निर्देश दिये गये कि इसके अतिरिक्त अन्य समाजसेवी संस्थाओं, जिन्हे रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, उनके सम्बन्ध में भी निरीक्षण कर देखा जाये कि वे पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर रही हैं अथवा नहीं।
- विषय संख्या : १९ वेतनसमिति १९९८ की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार भवन किराया भत्ता तथा नगर प्रांतिकर भत्ता की संशोधित दरें लागू किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्धारित दरों को लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

Dr

विषय संख्या : २० श्री राजकुमार खन्ना, चोर्कादार तथा उनके परिवार की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य लेखाधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर लें। तदुपरान्त उपाध्यक्ष अपने स्तर से उचित निर्णय लें।

विषय संख्या : २१ विभिन्न योजनाओं में विवादित भूमि/निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित।

निर्णय : भूमि एवं निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रकरणों पर विचार किये जाने से पूर्व भूमि के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सामान्य निर्णय लेते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो भविष्य में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों का भर्लाभांति परीक्षण करेगी, जिसमें योजना पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आर्थिक पहलू को भी दृष्टिगत रखा जायेगा। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

१. मुख्य नगर नियोजक
२. मुख्य लेखाधिकारी
३. लागत एवं वित्तीय परामर्शी

प्रस्ताव के साथ संलग्नक के रूप में तथा ८ मार्च, १९ की बैठक में स्थगित दो अन्य प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए कुल ८ प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

१. भूमि खसरा संख्या: १४० ग्राम पुरनिया रकबा १-१८-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों हेतु गठित समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।

२. श्रीमती चन्द्रावती की भूमि पर स्थित निर्माण के समायोजन के सम्बन्ध में।

वर्तमान में भवन निर्मित है, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित शर्तों पर मात्र २४७.९४ वर्गमीटर भूमि व निर्माण समायोजित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

३. भूमि खसरा संख्या : १६१० ग्राम उजरियांव के समायोजन के सम्बन्ध में।

श्रीमती महादेयी की अनर्जित भूमि रकबा ०-४-०-० का समझौता प्रस्तावित शर्तों पर केवल एक भूखण्ड १०.५ × २४ मी. (२५२ वर्ग मी.) अर्थात् अनर्जित भूमि का आधा क्षेत्रफल दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

[Handwritten signature]

४. ग्राम बरगंवा परगना विजनौर, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या ५८५ में निर्मित भवन का समायोजन।
विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को भूमि अर्जन सम्बन्धी मामलों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
५. भूमि खसरा संख्या ६०१ स्थित ग्राम भदरुख रकबा ०-७-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।
विचारोपरान्त प्रस्ताव को भूमि अर्जन के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

६. हरदोई रोड योजना में रिबर व्यु सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को ६० प्रतिशत विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन से सम्बन्धित मामलों हेतु गठित समिति प्रकरण का परीक्षण करे।

७. ग्राम सिक्न्दरपुर इनायत अली भूमि खसरा संख्या २०४ रकबा ०-५-१२-० (७६२३ वर्गफिट) के समायोजन के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में प्रस्तावित शर्तों के अधीन समझौता कर लिया जाये परन्तु पक्ष को मात्र एक भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल २८८ वर्गमीटर होगा, उपलब्ध कराया जायेगा।

८. मजदूर किसान सहकारी गृह निर्माण समिति लि. की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति पहले प्रकरण का परीक्षण करे।

विषय संख्या : २२

श्री प्रवीणचन्द्र गुप्ता को कानपुर रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए-१/५२, सेक्टर "एल" के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।


- विषय संख्या : २३ श्री सरोजसिंह को अर्जित भूमि के बदले समायोजित भूखण्ड संख्या: १/२०१(बी) विनीत खण्ड के उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड संख्या: १/२०८(बी) समायोजित किया जाना।
- निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एक ही योजना में भूखण्ड परिवर्तित किये जाने का प्रकरण है, जो उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अतः उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें।
- विषय संख्या : २४ श्री अतुल चन्द्रा को शारदा नगर योजना में आवण्टित एच.आई.जी. भवन संख्या: ३/३४ रुचि खण्ड-१ को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किया जाना।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
- विषय संख्या : २५ विकास प्राधिकरण(अपराधों का शमन) संशोधित उपविधि १९९८ (स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार।
- निर्णय : शासनादेश संख्या: ३०१५/९-आ-१-१९९९-१२० विविध, दिनांक ३० जून, ९९ द्वारा प्रेषित परिष्कारों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- विषय संख्या : २६ श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्या: बी-४/२०९ विशाल खण्ड को इनके सम्मुख "डेड एण्ड" सड़क की भूमि आवण्टित किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विचार।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।
- विषय संख्या : २७ गोमती नगर स्थित विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।


- अनु.विषय संख्या: १ गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवा के भू-प्रयोग को संस्थानों हेतु आवासीय भू-प्रयोग में परिवर्तित करने हेतु।
- निर्णय : स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनरीक्षित करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- अनु.विषय संख्या: २ कानपुर रोड सेक्टर "आई" स्थित भूखण्ड संख्या: ए-१०९२/आई को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत परिवर्तन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : वर्तमान में मेजर संजय सिंह कारगिल में नियुक्त हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि इसे भविष्य के लिये दृष्टान्त न बनाया जाये।
- अनु.विषय संख्या: ३ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव वापस लिया गया।
- अनु.विषय संख्या: ४ भारत - पाक युद्ध के दौरान कारगिल में शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय की माता के नाम आवन्तित भवन के निबन्धन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय की पूज्यनाय माता जी श्रीमती वृजमोहनी पान्डेय के नाम गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में आवन्तित ई.डब्ल्यू.एस. भवन संख्या : १/७९०(एफ) के विरुद्ध उनके द्वारा जमा धनराशि को सुमायोजित कर अवशेष तथा अन्य देय धनराशि को माफ करते हुए भवन की रजिस्ट्री श्रीमती वृजमोहनी पान्डेय के नाम कर दी जाये। रजिस्ट्री का व्यय भी प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाये।
- अनु.विषय संख्या: ५ श्रीमती जोरेन सिंह को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-५ में आवन्तित भवन संख्या: ५/२३२ एम.आई.जी. के विरुद्ध आरोपित दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आरोपित किये गये ब्याज की ५० प्रतिशत धनराशि उपाध्यक्ष द्वारा माफ की जा चुकी है। उसके अतिरिक्त २५ प्रतिशत ब्याज और माफ कर दिया जाये।

अन्य बिन्दु :


१. निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड पर जिन व्यक्तियों को गार्डन लांज़ पर भूमि आवन्तित की गई है, उनमें से अधिकतर ने गार्डन लांज़ का उल्लंघन कर पक्के निर्माण कर लिये हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से अतिक्रमण भी कर लिया गया है। अतः सम्बन्धित संयुक्त सचिव एवं क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता स्थल निरीक्षण करके ऐसे निर्माणों की सूची बनायें तथा शीघ्र ही उल्लंघन करने वाले आवन्तियों की लांज़-डीड निरस्त कराकर इस प्रकार के पक्के निर्माणों तथा अनधिकृत अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही करें।

२. गोमती नगर थाने के पास स्थित चौराहे का नामकरण अमर शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के नाम पर किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। इसी प्रकार गोमती नगर स्थित जिस पार्क में शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के पार्थिव शरीर को जनता के अन्तिम दर्शन हेतु रखा गया, उसे अमर शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के नाम से नामकरण किये जाने तथा पार्क में कैप्टन पान्डेय की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया।


(विशाल राणा)
सचिव


(विनोद शंकर चौबे)
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त



(अरुण कुमार मिश्रा)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण

एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय संख्या : २

पृष्ठ संख्या : १२

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ०७ जुलाई, १९९९ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय संख्या	विषय एवं निर्णय	अनुपालन आख्या
विषय संख्या : १	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
विषय संख्या : २	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	
निर्णय :	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :- १. इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान में कनवेन्शनल सेन्टर/होटल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम एवं शर्तों का अनुमोदन शासन स्तर से होने के उपरान्त, शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाये।	शर्तों के अनुमोदन हेतु 30.3.99 को सचिव, आवास की अध्यक्षता में बैठक हुई थी परन्तु कार्यवृत्त प्राप्त नहीं हुआ है। दि० 30.8.99 को पुनः पत्र भेजा गया है।

२. हरदोई रोड योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि एक माह के अन्दर सर्वेक्षण एवं कन्ट्रिंग की कार्यवाही पूर्ण कराकर अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जाये।

३. क्लव के निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण पर यह जांच किये जाने के निर्देश दिये गये कि क्या किसी स्तर से किसी संस्था को १० एकड़ भूमि क्लव निर्माण हेतु आवान्तित की गई है अथवा किसी संस्था को १० एकड़ भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गया है। इस प्रकरण पर जांच कर तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

४. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक ८ मार्च, १९९९ के अन्य विन्दु के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

निर्णयानुसार सर्वेक्षण एवं कन्ट्रिंग की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

प्राधिकरण के बल्क सेल विभाग द्वारा क्लव निर्माण के लिये कोई आवंटन-पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

विषय संख्या : ३

प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया। प्रगति आख्या के अवलोकन के उपरान्त विकास से सम्बन्धित निम्नांकित विन्दुओं पर चर्चा हुई तथा निर्देश दिये गये-

१. सीतापुर रोड, जानकीपुरम में स्थित नाले में सहारा स्टेट के पानी

के बहाव का प्रकरण उठाया गया। इस सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक को निर्देश दिये गये कि वे वर्तमान नाले की क्षमता का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

२. एक सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर रोड पर एक भी नाले की सफाई नहीं हुई है। इसके उत्तर में उपाध्यक्ष, लखनऊ विवास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि नालों की सफाई वृहत स्तर पर जे.सी.बी. द्वारा कराई गई है और अभी सफाई का कार्य चल रहा है। छोटे-मोटे नालों की सफाई का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण करा दिया जायेगा।

नालों की सफाई कराई गई।

३. एक सदस्य द्वारा कानपुर रोड स्थित पार्क में बेंसों के तबले को न हटायें जाने की शिकायत की गई। इसे शीघ्र ही हटवाये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही पार्क में किये गये अन्य अतिक्रमणों को भी हटायें जाने के निर्देश दिये गये।

४. कानपुर रोड एवं गोमती नगर स्थित सभी नालों की समुचित सफाई कराये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता/अधीक्षक अभियन्ता श्री मेहरा को निर्देशित किया गया।

सफाई करा दी गई है।

५. इस विषय पर भी विचार विमर्श हुआ कि पम्पिंग हेतु छोटे पम्प के स्थान पर बड़े पम्प जो अधिक क्षमता वाले हों उन्हे क्रय किया जाये।

६. नगर निगम द्वारा जो नालों की सफाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे प्राधिकरण द्वारा भी अपनाये जाने के विषय में विचार विमर्श हुआ तथा यह निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम से विचार विमर्श कर देख लिया जाये कि यदि वह व्यवस्था अच्छी है तो उसे प्राधिकरण में भी क्रियान्वित किया जाये।

विषय संख्या : ४

जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत निर्माणार्थान १८ मी. चौड़ी सड़क में आ रही श्री अतीकुरहमान खान की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव का औपचारिक अनुमोदन।

निर्णय :

परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

निर्णयानुसार कार्यवाही की गई।

विषय संख्या : ५ शौर्यचक्र से सम्मानित ले. कर्नल एम.सी.शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा वारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त राइफलमैन सुनीलजंग के पिता को निर्माण लागत पर बिना लाभ-हानि के वरीयता के आधार पर भवन/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : शौर्यचक्र से सम्मानित ले. कर्नल एम.सी.शर्मा की पत्नी श्रीमती कल्याणी शर्मा तथा वारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त राइफलमैन सुनील जंग के पिता श्री नर नारायण जंग को वरीयता के आधार पर (आउट-राइट) भवन भूखण्ड आवन्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा भवन के विक्रय मूल्य में २५ प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

निर्णयानुसार भवन संख्या: 5/1244 विराम खण्ड आवन्तित कर दिया गया है।

विषय संख्या : ६ श्रीमती अर्चना कालिया को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्तित भवन के मूल्य में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि युद्ध में वीरगति को प्राप्त करने वाले अन्य प्रकारों की भांति श्रीमती कालिया को भी भवन के विक्रय मूल्य में २५ प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये।

श्रीमती कालिया को निर्णयानुसार भवन संख्या: 5/449 विराम खण्ड आवन्तित कर दिया गया है तथा अधिक जमा धनराशि वापस कर दी गई है।

विषय संख्या : ७ भूखण्ड संख्या : ४ ए, ४ बी तथा ४ सी, मीराबाई मार्ग के भू-प्रयोग को "आवासीय" से "बाजार स्ट्रीट, व्यावसायिक" में परिवर्तन किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

नोट किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

विषय संख्या : ८ सिन्डर्स डम्प आलमबाग में निर्माणार्थीन अन्तर्जनपदीय बस टर्मिनल तथा व्यावसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : शासन के निर्देशानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

भवन मानचित्र निर्गत किया गया।

विषय संख्या : ९ लखनऊ नगर की महायोजना २००१-२०२१ की संरचना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : आवास आयुक्त श्री एन. रविशंकर तथा प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक द्वारा एजेन्सी चयन के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया तथा वर्तमान प्रगति के सम्बन्ध में समस्त उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। प्राप्त हुए आफर्स में अत्यधिक वित्तीय भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव को आवास आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा सी.ई.एस., टाटा कन्सल्टेंट,

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पुनः अनुरोध किया गया है। उनसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

राइट्स तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्तावों पर पुनर्विचार कर लिया जाये। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा महायोजना की संरचना हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिक तकनीकी विधाओं जैसे जी.आई.एस. एवं व.म.प्युटर आदि तथा यदि विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी है तो उसका प्रस्ताव भी प्राप्त करके परीक्षण किया जाये।

विषय संख्या : १० दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : श्री बाबूराम शुक्ल एवं श्री राम नारायण पाण्डे पर भवन की किस्में विलम्ब से जमा करने के कारण लगाये गये दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ५० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ करने का जो अधिकार उपाध्यक्ष में निहित है, उसपर उपाध्यक्ष स्वयं निर्णय ले लें। बोर्ड द्वारा उपरोक्त ५० प्रतिशत के अतिरिक्त १० प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या : ११ हरदोई रोड योजना में २२०/१३२ के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि आवन्तन से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि रु० ५१०.०० प्रति वर्ग मी. ही भूमि का मूल्य लगाया जाये। इससे कम मूल्य नहीं लगाया जा

प्राधिकरण के निर्णयानुसार अधीक्षण अभियंता, विद्युत प्रेषण मण्डल, उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद. - -

सकता। धनराशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र भेजा जाये। यदि माननीय मन्त्री जी अथवा शासन द्वारा छूट दिये जाने का कोई निर्णय लिया गया है तो शासन को पत्र भेज कर उसकी पुष्टि कराई जाये और यदि शासन द्वारा किसी प्रकार की छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है तो शासन से उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु अनुरोध किया जाये।

तथा सचिव, ऊर्जा को पत्र निर्गत किये गये।

विषय संख्या : १२

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अनिस्तारित व्यवसायिक भवनों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि दैलाशबुंज के ५८ आवन्तियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु उनसे सहमति प्राप्त कर शीघ्र कार्यवाही की जाये। व्यवसायिक भवनों के वर्तमान स्वरूप में कुछ परिवर्तन/परिवर्धन किये जाने के सम्बन्ध में भी चर्चा हुई। यह भी अवगत कराया गया कि कुछ दुकानों के मुख्य द्वार सड़क की ओर खोले जाने से आकर्षण बढ़ सकता है। प्राधिकरण को अधिक आर्थिक उक्ति न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : १३

एव.मुश्त भुगतान की दशा में छूट दिये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया कि आवन्टन पत्र निर्गत होने की तिथि से ३० दिनों का समय जो प्रस्तावित किया गया है उसे ३० दिन के स्थान पर ४५ दिन रखा जाये।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : १४ स्कूल भूखण्डों के आवन्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्कूल भूखण्डों हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक २६.६.९९ में की गई संस्तुतियां अनुमोदित की गई तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

१. विद्यालय की मान्यता हेतु न्युन्तम जितनी भूमि आवश्यक हो उतनी भूमि के आवन्तन हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।

२. सीतापुर रोड एवं गोमती नगर में महाविद्यालय की स्थापना हेतु १०-१० एकड़ भूमि का नियोजन किया जाये। इसमें ५ एकड़ भूमि ग्रीनबेल्ट की तथा ५ एकड़ निर्माण हेतु सम्मिलित करके प्रस्ताव तैयार किया जाये।

मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ०प्र० से प्राप्त पत्र के दृष्टिगत भूमि की मात्रा के निर्धारण का निर्णय क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण के समक्ष अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्या : १५ गोमती नगर योजना विपुल खण्ड-२ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : सी.पी.-१ पर लागे ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि विपुल खण्ड गोमती नगर की भूमि बहुत ही बहुमूल्य है, अतः ब्याज माफ़ किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

कोई कार्यवाही वांछित नहीं ।

विषय संख्या : १६ गोमती नगर योजना के विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या : सी.पी.-१ का आवन्तन मे. रोमिंत विल्डर्स के पक्ष में वहाल किये जाने के समझौते के प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष स्वतः विषय का अध्ययन करके अपनी संस्तुति प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

विषय संख्या : १७ गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में मे. इन्डियन होटल्स क.लि. (ताजग्रुप) को मनोरंजनात्मक पार्क हेतु लाइसेन्स के आधार पर आवन्तित २५ एकड़ भूमि से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचरोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रशनगत पार्क में जन सामान्य के प्रवेश हेतु कोई शुल्क न लगाया जाये।

नोट किया गया।

विषय संख्या : १८ मनीषा मन्दिर को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड में आवन्तित भूमि में लीज़रेन्ट को विलम्ब से जमा करने पर देय दण्ड ब्याज माफ़ किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचरोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल निरीक्षण कर देखा जाये कि इस संस्था व्दारा क्या कार्य किये जा रहे हैं। यह भी निर्देश

प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिये गये कि इसके अतिरिक्त अन्य समाजसेवी संस्थाओं, जिन्हे रियायती दर पर प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, उनके सम्बन्ध में भी निरीक्षण कर देखा जाये कि वे पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर रही हैं अथवा नहीं।

विषय संख्या : १९

वेतनसमिति १९९८ की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार भवन किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की संशोधित दरें लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्धारित दरों को लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

निर्णयानुसार निर्धारित दर से भुगतान किया जा रहा है।

विषय संख्या : २०

श्री राजकुमार खन्ना, चौकीदार तथा उनके परिवार की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य लेखाधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर लें। तदुपरान्त उपाध्यक्ष अपने स्तर से उचित निर्णय लें।

प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।

विषय संख्या : २१ विभिन्न योजनाओं में विवादित भूमि/निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित।

निर्णय :

भूमि एवं निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रकरणों पर विचार किये जाने से पूर्व भूमि के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सामान्य निर्णय लेते हुए सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो भविष्य में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों का भर्तीभांति परीक्षण करेगी, जिसमें योजना पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आर्थिक पहलू को भी दृष्टिगत रखा जायेगा। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

१. मुख्य नगर नियोजक
२. मुख्य लेखाधिकारी
३. लागत एवं वित्तीय परामर्शी

प्रस्ताव के साथ संलग्नक के रूप में तथा ८ मार्च, १९९९ की बैठक में स्थगित दो अन्य प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए कुल ८ प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

१. भूमि खसरा संख्या: १४० ग्राम पुरनिया रकबा १-१८-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों हेतु गठित समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।

समायोजन समिति की बैठक दिनांक 16.10.99 को हुई।

२. श्रीमती चन्द्रावती की भूमि पर स्थित निर्माण के समायोजन के सम्बन्ध में।
वर्तमान में भवन निर्मित है, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित शर्तों पर मात्र २४७.९४ वर्गमीटर भूमि व निर्माण समायोजित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

३. भूमि खसरा संख्या : १६१० ग्राम उजरियांव के समायोजन के सम्बन्ध में।
श्रीमती महादेयी की अनर्जित भूमि रकबा ०-४-०-० का समझौता प्रस्तावित शर्तों पर केवल एक भूखण्ड १०.५ × २४ मी. (२५२ वर्ग मी.) अर्थात् अनर्जित भूमि का आधा क्षेत्रफल दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

४. ग्राम बरगंवा परगना विजनौर, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या ५८५ में निर्मित भवन का समायोजन।
विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को भूमि अर्जन सम्बन्धी मामलों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

५. भूमि खसरा संख्या ६०१ स्थित ग्राम भदरुख रकबा ०-७-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।
विचारोपरान्त प्रस्ताव को भूमि अर्जन के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

समायोजन समिति की बैठक दिनांक 16.10.99 में प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

यथा- उपरोक्त

६. हरदोई रोड योजना में रिवर व्यु सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को ६० प्रतिशत विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन से सम्बन्धित मामलों हेतु गठित समिति प्रकरण का परीक्षण करे।

अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

७. ग्राम सिकन्दरपुर इनायतअर्ली भूमि खसरा संख्या : २०४ रकबा- ०-५-१२-० (७६२३ वर्गफिट) के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में प्रस्तावित शर्तों के अधीन समझौता कर लिया जाये परन्तु पक्ष को मात्र एक भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल २८८ वर्गमीटर होगा, उपलब्ध कराया जायेगा।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

८. मजदूर किसान सहकारी गृह निर्माण समिति लि. की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति पहले प्रकरण का परीक्षण करे।

समायोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विषय संख्या : २२ श्री प्रवीणचन्द्र गुप्ता को कानपुर रोड योजना में आवन्तित भूखण्ड संख्या :
ए-१/५२, सेक्टर "एल" के स्थान पर गोमती नगर योजना में भूखण्ड
परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या : २३ श्री सरोजसिंह को अर्जित भूमि के बदले समायोजित भूखण्ड संख्या :
१/२०१(बी) विनीत खण्ड के उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड संख्या :
१/२०८(बी) समायोजित किया जाना।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एक ही योजना में भूखण्ड
परिवर्तित किये जाने का प्रकरण है, जो उपाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र के
अन्तर्गत आता है, अतः उपाध्यक्ष अपने स्तर पर निर्णय ले लें।

कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या : २४ श्री अतुल चन्द्रा को शारदा नगर योजना में आवन्तित एच.आई.जी. भवन
संख्या: ३/३४ रुचि खण्ड-१ को गोमती नगर योजना में परिवर्तित किया
जाना।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही पूर्ण की गई।

विषय संख्या : २५ विकास प्राधिकरण(अपराधों का शमन) संशोधित उपविधि १९९८
(स्वैच्छिक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार।

निर्णय : शासनदेश संख्या: ३०१५/९-आ-१-१९९९-१२० विविध, दिनांक ३० जून,
९९ द्वारा प्रेषित परिष्कारों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की
गई।

शासन को पत्र भेज दिया गया।

विषय संख्या : २६ श्री नूर मोहम्मद, भूखण्ड संख्या: बी-४/२०९ विशाल खण्ड को इनके
सम्मुख "डेड एण्ड" सड़क की भूमि आवन्तित किये जाने के सम्बन्ध में
पुनर्विचार।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

कार्यवाही वांछित नहीं।

विषय संख्या : २७ गोमती नगर स्थित विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का
प्राविधान किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

कार्यवाही प्रगति पर है। आपत्तियों की सुनवाई हेतु
समिति के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा
है।

अनु.विषय संख्या: १ गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवा के भू-प्रयोग को संस्थानों हेतु आवासीय भू-प्रयोग में परिवर्तित करने हेतु।

निर्णय : स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनरीक्षित करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

अनु.विषय संख्या: २ कानपुर रोड सेक्टर "आई" स्थित भूखण्ड संख्या: ए-१०९२/आई को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : वर्तमान में मेजर संजय सिंह कारगिल में नियुक्त हैं, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई कि इसे भविष्य के लिये दृष्टान्त न बनाया जाये।

कार्यवाही पूर्ण की गई ।

अनु.विषय संख्या: ३ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों/कलाकारों को प्राधिकरण की योजनाओं में रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : बैठक में उपस्थित संयुक्त सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव वापस लिया गया।

कोई कार्यवाही वांछित नहीं ।

अनु.विषय संख्या: ४ भारत - पाक युद्ध के दौरान कारगिल में शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय की माता के नाम आवन्तित भवन के निबन्धन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय की पूज्यनीय माता जी श्रीमती वृजमोहनी पाण्डेय के नाम गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड में आवन्तित ई.डब्ल्यू.एस. भवन संख्या : १/७९०(एफ) के विरुद्ध उनके द्वारा जमा धनराशि को समायोजित कर अवशेष तथा अन्य देय धनराशि को माफ़ करते हुए भवन की रजिस्ट्री श्रीमती वृजमोहनी पाण्डेय के नाम कर दी जाये। रजिस्ट्री का व्यय भी प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाये।

निर्णयानुसार आवन्तित भवन संख्या: 1/790 विशाल खण्ड का निबन्धन श्रीमती वृजमोहनी पाण्डेय के नाम कर दिया गया है।

अनु.विषय संख्या: ५ श्रीमती जोरेन सिंह को गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-५ में आवन्तित भवन संख्या: ५/२३२ एम.आई.जी. के विरुद्ध आरोपित दण्ड व्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि आरोपित किये गये व्याज की ५० प्रतिशत धनराशि उपाध्यक्ष द्वारा माफ़ की जा चुकी है। उसके अतिरिक्त २५ प्रतिशत व्याज और माफ़ कर दिया जाये।

पक्ष को सूचित कर दिया गया है।

अन्य बिन्दु :

१. निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड पर जिन व्यक्तियों को गार्डेन लीज़ पर भूमि आवन्तित की गई है, उनमें से अधिकतर ने गार्डेन लीज़ का उल्लंघन कर पक्के निर्माण कर लिये हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से अतिक्रमण भी कर लिया गया है। अतः सम्बन्धित संयुक्त सचिव एवं क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता स्थल निरीक्षण करके ऐसे निर्माणों की सूची बनायें तथा शीघ्र ही उल्लंघन करने वाले आवन्तियों की लीज़-डीड निरस्त कराकर इस प्रकार के पक्के निर्माणों तथा अनधिकृत अतिक्रमणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही करें।

२. गोमती नगर थाने के पास स्थित चौराहे का नामकरण अमर शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के नाम पर किये जाने हेतु निर्णय लिया गया। इसी प्रकार गोमती नगर स्थित जिस पार्क में शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के पार्थिव शरीर को जनता के अन्तिम दर्शन हेतु रखा गया, उसे अमर शहीद कैप्टन मनोज पान्डेय के नाम से नामकरण किये जाने तथा पार्क में कैप्टन पान्डेय की प्रतिमा स्थापित किये जाने हेतु भी निर्णय लिया गया।

निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

नामकरण किया जा चुका है।

विषय संख्या: 3

पृष्ठ संख्या: 31

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण
द्वारा विगत त्रैमास में किये गये
कार्यों की प्रगति आख्या

लखनऊ विकास प्राधिकरण
द्वारा विगत त्रैमास में
किये गये कार्यों की
भौतिक/वित्तीय प्रगति
तथा सम्पत्तियों से सम्बन्धित
विवरण अलग से
अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया
जा रहा है।

विषय: स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों से सम्बन्धित।

स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों से सम्बन्धित प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को 60% विकसित भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक: 7.7.99 को प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि प्रकरण को बोर्ड में रखे जाने से पूर्व समायोजन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये {संलग्नक-1}

रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लि० के प्रकरण के विषय में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 7.7.99 में लिए गये निर्णय के क्रम में एवं मा० उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका सं० 2/एल०ए०/97 रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लि० बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.9.99 के क्रम में दिनांक 24.9.99 को प्रकरण समायोजन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक दिनांक 24.9.99 का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ संलग्न है {संलग्नक-2}

रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लि० के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.9.99 को आदेश दिया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण को एक माह में निस्तारित कर दिया जाये। {संलग्नक-3}

इस सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि मा० उच्च न्यायालय के निर्देश दिनांक 15.9.99 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण को एक माह में निस्तारित किया जाना है। समायोजन समिति द्वारा आहूत बैठक दिनांक 24.9.99 में समिति के प्रकरण में शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 12 जून, 1998 के क्रम में समिति की भूमि को हरदोई रोड योजना में समायोजित किये जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- 1- समिति की कुल भूमि में से हरदोई रोड के अन्तर्गत आने वाली रोड वाइडनिंग की भूमि को घटाकर अवशेष भूमि में से 60% भूमि यथा सम्भव दी जायेगी।

- 2- हरदोई रोड से लगी 40% अवशेष भूमि प्राधिकरण के पक्ष में ली जायेगी।
- 3- 60% भूमि का समायोजन शासनादेश सं0 एमओ-16/9-आ-3-98-8एल0ए0/96 दिनांक 12 जून, 1998 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा एवं समिति को दी गई भूमि का विकास शुल्क लिया जायेगा।
- 4- उक्त भूमि लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना-2001 के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आरक्षित है, जिसका समायोजन यथा सम्भव न्यायालय के आदेश दिनांक 15.9.99 एवं शासनादेश दिनांक 12 जून, 1998 के परिप्रेक्ष्य में आवासीय हेतु किया जाना है। इसलिए उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक से आवासीय में परिवर्तन हेतु शासन को विषय संदर्भित करने से पूर्व प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 7.7.99 द्वारा गठित समायोजन समिति की संस्तुति को भू-उपयोग के परिवर्तन हेतु प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। चूंकि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.9.99 में प्रकरण के निस्तारण हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया है। समिति की भूमि को समायोजित किये जाने के पूर्व उक्त भूमि के समायोजन यथा स्थान किये जाने तथा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

विषय संख्या : २० श्री राजकुमार खान्ना, चौकीदार तथा उनके परिवार की दिवित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मुख्य लेखाधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर लें। तदुपरान्त उपाध्यक्ष अपने स्तर से उचित निर्णय लें।

विषय संख्या : २१ विभिन्न योजनाओं में विचारित भूमि/निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित।

निर्णय : भूमि एवं निर्माणों के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये प्रकरणों पर विचार किये जाने से पूर्व भूमि के समायोजन से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सामान्य निर्णय लेते हुए सचिव, लाखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जो भविष्य में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों का भर्तीगति परीक्षण करेगी, जिसमें योजना पर पड़ने वाले प्रभाव तथा आर्थिक पहलू को भी दृष्टिगत रखा जायेगा। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

१. मुख्य नगर नियोजक
२. मुख्य लेखाधिकारी
३. लागत एवं वित्तीय परामर्शी

प्रस्ताव के साथ संलग्नक के रूप में तथा ८ मार्च, ९९ की बैठक में स्थापित दो अन्य प्रकरणों को सम्मिलित करते हुए कुल ८ प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय किये गये-

१. भूमि खसरा संख्या १४० ग्राम पुरनिया रकबा १-१८-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों हेतु गठित समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाये।

२. श्रीमती चन्द्रावती की भूमि पर स्थित निर्माण के समायोजन के सम्बन्ध में।

वर्तमान में भवन निर्मित है, इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित शर्तों पर मात्र २४७.९४ वर्गमीटर भूमि व निर्माण समायोजित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

३. भूमि खसरा संख्या : १६१० ग्राम उज्जरथांव के समायोजन के समायोजन के सम्बन्ध में।

श्रीमती महादेयी की अनर्जित भूमि रकबा ०-४-०-० का समशीला प्रस्तावित शर्तों पर नेचले एच. भूखण्ड १०.५ × २४ मी. (२५२ वर्ग मी.) अर्थात् अनर्जित भूमि का आधा क्षेत्रफल दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

४. ग्राम बरगवा परगना विजनौर, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या ५८५ में निर्मित भवन का समायोजन।

विचरोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव को भूमि अर्जन सम्बन्धी मामलों हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

५. भूमि खसरा संख्या ६०१ स्थित ग्राम भद्ररुख रकबा ०-७-०-० के समायोजन के सम्बन्ध में।

विचरोपरान्त प्रस्ताव को भूमि अर्जन के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

६. हरदोई रोड योजना में रिचर व्यु सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को ६० प्रतिशत विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन से सम्बन्धित मामलों हेतु गठित समिति प्रकरण का परीक्षण करे।

(७) ग्राम सिकन्दरपुर इनायत अली भूमि खसरा संख्या २०४ रकबा ०-५-१२-० (७६२३ वर्गफुट) के समायोजन के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव पर विचरोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में प्रस्तावित शर्तों के अधीन समझौता कर लिया जाये परन्तु पक्ष को मात्र एक भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल २८८ वर्गमीटर होगा, उपलब्ध कराया जायेगा।

८. गजदर विधान सहकारी गृह निर्माण समिति लि. की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि अर्जन के प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति पहले प्रकरण का परीक्षण करे।

विषय संख्या : २२

श्री प्रवीणचन्द्र गुप्ता को बानपुर रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या १-१/५२, सेक्टर "एल" के स्थान पर गौमती नगर योजना में भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विचरोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

दिनांक 7.7.99 को
लॉर्ड बॉटलिंग इ. प्रो. प्रो. लि.

संलग्नक -

पृष्ठ सं०: 37

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या:

उपरोक्त विषयक विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.8.1997 में अनुपूरक विषय सं०-3 पर रखा गया था, जिसकी प्रति संलग्न है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को निर्णय हेतु शासन को संदर्भित कर दिया जाये, तदुपरान्त शासन द्वारा अपने पत्र सं०- एम०ओ०-16/9-आ-3-98-8एल ए०/96 दिनांक 12.6.98 के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था, पत्र संलग्नक-2

यहाँ यह अवगत कराना है कि समिति की भूमि हरदोई रोड योजनान्तर्गत ग्राम छन्दोहिया की भूमि खसरा सं०-211 से 218, 224 व 228 से 232 कुल क्षेत्रफल 11.478एकड़ है जिसका भू-उपयोग महायोजना 2001 में व्यापारिक है। चूँकि समिति को आवासीय भू उपयोग की भूमि ही उपलब्ध कराया जाना है, अतः प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.8.97 व शासनादेश दिनांक 12.6.98 के अनुपालन में समिति की भूमि का समायोजन करने से पूर्व समिति की भूमि का भू-उपयोग व्यापारिक से आवासीय में परिवर्तित किया जाना आवश्यक होगा।

इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ०प्र० से राय प्राप्त की गयी है, जिसके अनुसार समिति की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव निम्न बिन्दुओं के साथ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है:-

- 1। शासन द्वारा निर्गत शासनादेशानुसार उक्त समिति की भूमि का 60% मात्र समायोजित किया जाना है।
- 2। रिवर व्यू सहकारी आवास समिति की भूमि जिसका भू-उपयोग व्यापारिक है, को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने की स्वीकृति।
- 3। हरदोई रोड योजनान्तर्गत समिति की भूमि के समकक्ष आवासीय भूमि को व्यापारिक भूमि में परिवर्तित करने की स्वीकृति।

उत्तु
विषय संख्या: 3

318

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिबर व्यू सहकारी आवास समिति की अर्जित भूमि के बदले समिति को 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

माह्या:

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड/कामधेनु नगर/आवारीय योजना के अन्तर्गत 1355 एकड़ भूमि अर्जित की गयी थी। इस हेतु धारा:4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति क्रमशः:12.5.81 व 3.7.83 को प्रकाशित की गयी थी तथा भूमि का कब्जा तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को वर्ष 1985 में हस्तान्तरित किया गया था एवं दिनांक 22.9.86 को अभिनिर्णय घोषित किया गया।

योजना के लिए अर्जित भूमि के अन्तर्गत ग्राम छन्दोहिया की भूमि द्वारा सं:211से 218,224 व 228 से 232 जिसका क्षेत्रफल कुल रकबा 11.784एकड़ को रिबरव्यू सहकारी आवास समिति के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि समिति द्वारा नीलागी में वर्ष 1973 में क्रय की गयी थी। इससे स्पष्ट है कि धारा 4/17 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व यह भूमि इनके नाम अंकित थी।

रिबरव्यू सहकारी आवास समिति ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन सं:2/एल0ए0/1997 दायर की थी जिसके सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय, लखनऊ हाइडपीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.1.97 द्वारा भूखण्डों को अर्जन से मुक्त करने व इनके द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार करने हेतु निर्देशित किया गया है। रिबरव्यू सहकारी आवास समिति ने अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि इनकी भूमि को समायोजित कर लिया जाय इस हेतु ये विकास व्यय देने को सहमत हैं।

अवगत कराना है कि कामपुर रोड आवारीय योजना के अन्तर्गत आग्रवाली सहकारी गृह निर्माण समिति को निम्न शर्तों के साथ भूमि समायोजित करने के सम्बन्ध में शासन के आवास विभाग द्वारा शासनादेश सं:एम0ओ0:238/9.आ.3.92/20एल0ए0/92 दिनांक 20.11.92 निर्गत किया गया था:

1. अर्जित भूमि का 60प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाय।
2. भूमि के सम्बन्ध में समिति न तो कोई प्रतिकर ले और न ही उससे भूमि का मूल्य लिया जाय, परन्तु विकास कार्य हेतु विकास शुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि के लिए लिया जाय।
3. उपलब्ध करायी गयी भूमि में भूखण्डों का साइज एवं आवन्टन समिति द्वारा ही किया जाय, परन्तु इसमें निबन्धन सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित रखा जाय जिससे शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों को पालन सुनिश्चित रहे।

उक्त शासनादेश के क्रम में अन्य समितियों के मामलों में एक विस्तृत टिप्पणी प्राधिकरण के विचारार्थ प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.1.93 में अनुपूरक विषय संख्या:2 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी थी, जिसकी फोटोप्रति संलग्न है। इस बैठक में प्राधिकरण द्वारा निम्न

[Handwritten signature]

...

निर्णय लिया गया:-


"प्रस्ताव इस शर्त के साथ रबीकृत किया गया कि विकास शुल्क का भुगतान शासन के निर्देशों के अनुसार ही लिया जाय"

शासन के उक्त आदेश तथा प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में अब तक निम्न आवासीय समितियों को विकास व्यय लेकर 60% विकसित भूमि उपलब्ध कराई गयी है:-

क्र.सं०	समिति	60% विकसित भूमि जो उपलब्ध कराई गयी (एकड़ में)	योजना जहाँ पर भूमि स्थिति	समिति की स्थिति भूमि
1.	मानसरोवर सहकारी आवास समिति	4.761	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
2.	स्वर्गाश्रम सहकारी आवास समिति	5.623	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
3.	प्रोग्रेसिव सहकारी आवास समिति	15.120	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
4.	फ्रेण्ड्स सहकारी आवास समिति	13.045	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
5.	अमरावती सहकारी गृह निर्माण आवास समिति	3.74	गोमती नगर योजना	टिकैतराय आवासीय योजना
6.	लखनऊ विकास सहकारी आवास समिति	2.70	सीतापुर रोड यो0 (टिम्बर नगर)	सीतापुर रो0यो0 (टिम्बर नगर)
7.	गधुवन नगर भिलावों सहकारी आवास समिति	2.088	गोमती नगर योजना	गोमती नगर योजना
8.	फिरोजगंधी सहकारी आवास समिति	-	अलीगंज यो0	अलीगंज योजना
9.	आग्रपल्ली सहकारी गृह निर्माण समिति	5.209	रायबरेली रो0यो0	कानपुर रो0यो0 भाग-4

उक्त समितियों से नियमानुसार विकास व्यय जमा कराया जा रहा है।

यह अवगत कराना है कि हरदोई रोड योजना में प्रतिकर की धनराशि कम होने के कारण किरानों का बराबर अवरोध रहा है एवं प्राधिकरण अभी तक इस योजना में कोई विकास कार्य नहीं कर पाया है। इसी संदर्भ में दिनांक 20.5.97 को मानवीय आवास एवं नगर विकास मंत्रालय की तारा विमानों को अनिश्चितता का भावना करने की घोषणा की गयी थी एवं दिनांक 9.6.97 आवास विभाग द्वारा शासनादेश निगत किया गया, परन्तु फिर भी धनराशि का भुगतान करके कब्जा प्राप्त करने एवं पूरी योजना का विकास करने में कुछ समय लगेगा।

 मिश्रा


...

...

रिवरब्यू सहकारी आवास समिति का प्रकरण भी उन अन्य समितियों की भांति ही है, जिन्हें पूर्व 60% विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं। अतः रिवरब्यू सहकारी आवास समिति को भी 60% विकसित भूखण्ड उक्त प्रतिबन्धों के साथ उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

यह भी उल्लेख करना है कि रिवरब्यू सहकारी आवास समिति के अतिरिक्त कुछ अन्य आवासीय समितियों जो इसी प्रकार विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध बराबर कर रही हैं। अतः रिवरब्यू सहकारी आवास समिति के प्रकरणके साथ-साथ अन्य मामलों में भी गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु प्राधिकरण के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं:

- 1. रिवरब्यू सहकारी आवास समिति को हरदोई रोड योजना में 60% विकसित भूखण्ड उक्त शर्तों के अधीन उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
- 2. अन्य आवास समितियों के प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत करने की स्वीकृति।


 एस० वी० मिश्र
 अधीक्षण अभियन्ता

सेवा में,
सचिव माओ सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
उपाध्यक्ष,
सखनऊ विकास प्राधिकरण,
सखनऊ ।

आवात अनुभाग-3

सखनऊ : दिनांक 12 जून, 1998

विषय: रिबर व्यू सहकारी आवास समिति लि० की ग्राम छन्दोहिया, सखनऊ स्थित भूमि के अर्जन सुविधा के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, सखनऊ विकास प्राधिकरण के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 1665/एओसीओ/एसओईओ/97, दिनांक 16.1.98 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा सखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक दिनांक 30.8.97 में लिए गये निर्णय तथा इसी मामले में माओ उच्च न्यायालय के आदेश दि० 10.1.97 के अनुपालन के क्रम में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है ।

सुझे यह कहने का निर्देश हुआ है इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरता तथा नीति विषयक शासनादेश संख्या- 1470/9-आ-3-98-20 एम.ए./92, दिनांक 2 जून, 1998 जारी कर दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है । कृपया उक्त शासनादेश के अनुसार रिबर व्यू सहकारी आवास समिति की भूमि के समायोजना की कार्यवाही तत्काल सम्पादित कर ली तथा इसके अन्दर शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें । यह भी ध्यान में रखने का कष्ट करें कि इस प्रकरण में माओ उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.1.97 के अनुपालन में समिति का प्रकरण शीघ्र निस्तारित हो जाये ताकि अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो ।

सचिव,
[Signature]
§ सचिव माओ सिंह §
अनुसचिव ।

200


314

संख्या- 11/9-आ-3-98 तददिनांक ।

पृष्ठ: 42

उपरोक्त की प्रति श्री शवाबुददीन तपिब, रिबर च्यू
सहकारी आवास समिति लिमिटेड, नूरजहाँ मंजिल हाकिम भसीगा
मेन, सोसतिपाबाग, राजाबाजार, लखनऊ को उनके प्रत्यावेदन दिनांक
1.2.97 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से.




श्री शवाबुददीन तपिब
अनुसंधान विभाग

द्वारा एक समता की दृष्टि से वितारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कृषिपथ प्रकरणों में जो गई व्यवस्था को सामान्य नीति के रूप में अंगीकृत कर लिया जाय। अतः इस सम्बन्ध में पुनः यह कहने का निर्देश हुआ है कि जो सहकारी आवास समितियाँ निम्न पात्रता व शर्तों पूर्ण करतीं हों उनकी भूमि का समायोजन प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में कर दिया जाये।

- 11 सहकारी आवास समिति ने भूमि अर्जन की धारा-4 को चिह्नित से पूर्व भूमि क्रय कर ली हो अथवा सदस्यों को भूमि को रजिस्ट्री कर ली हो। यदि कुछ भूमि चिह्नित से पूर्व क्रय की हो और कुछ भूमि चिह्नित की तिथि के बाद में क्रय की हो तो प्रस्तावित सुविधा केवल पूर्व में क्रय की गई भूमि के सम्बन्ध में ही प्राप्त होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रय करने का तात्पर्य बेनाम से है न कि "एग्रोमेन्ट टू लेन" से है।
 - 12 समिति की भूमि एक ही स्थान पर हो। यदि समिति की भूमि एक ही स्थान पर अथवा लगभग एक ही स्थान पर न हो तो समायोजन करते समय भूमि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर ली जाये।
 - 13 अर्जित भूमि का 60 प्रतिशत विकसित क्षेत्र के रूप में समिति को उपलब्ध कराया जाये।
 - 14 भूमि के सम्बन्ध में समिति न तो प्रतिकर तथा अन्य सम्बन्धित धनराशि ले और न ही उक्त भूमि का मूल्य लिया जाये परन्तु विकास कार्य हेतु विकास शुल्क उपलब्ध करायी गई विकसित भूमि के लिए लिया जाये।
 - 15 समिति को उपलब्ध करायी गई भूमि में भूखण्ड का आकार एवं आकृति सहकारी समिति द्वारा ही किया जाये परन्तु इसमें निबन्धक, सहकारी आवास समितियों के प्रतिनिधि को सम्मिलित रखा जाये जिससे शासन के तत्संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित रहे।
- कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3-

भयदीय,



1 अतुल कुमार गुप्ता ।
सचिव।

....3....


संख्या - 147-0 111/9-आ-3-98 तददिनांक

उभरी जाती की प्राप्ति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपिष्ट :-

- 118 सगरमा जिला धारवा, उत्तर प्रदेश ।
- 121 मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 131 प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश स्टिकरी आवास संघ ।
- 141 उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु ।
- 151 आवास विभाग के सभस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,



श्यामजी ग. सिंह

अनु सचिव।

कार्यवृत्त

46

उपस्थिति:

1. श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री के०वी० सखरोना, लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता, ल०वि०प्रा०।
3. श्री मन मोहन, वित्त नियंत्रण, ल०वि०प्रा०।
4. श्री जी०पी० श्रीवास्तव, मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०।

अन्य उपस्थिति:


1. श्री ए०के० चर्मा, अधिशासी अभियन्ता-अर्जन, ल०वि०प्रा०।


रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लि० के प्रकरण के विषय में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 7.7.99 में लिए गये निर्णय के क्रम में एवं मा० उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका सं०-2/एल०ए०/1997 रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लि० बनाम स्टेट आफ यू०पी० में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.9.99 के क्रम में आहूत बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।


रिवर व्यू सहकारी आवास समिति लि० के प्रकरण में शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 12 जून, 1999 के क्रम में समिति की भूमि को हरदोई रोड योजना में समायोजित किये जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-


- 111 समिति की कुल भूमि में से हरदोई रोड के अन्तर्गत आने वाली रोड वाइडनिंग की भूमि को घटाकर अवशेष भूमि में से 60% भूमि यथा सम्भव दी जायेगी।
- 121 हरदोई रोड से लगी 40% अवशेष भूमि प्राधिकरण के पक्ष में ली जायेगी।
- 131 60% भूमि का समायोजन शासनादेश सं०-एगओ-16/9-आ-3-98-8 एल०ए०/96 दिनांक 12 जून, 1998 में निर्दिष्ट प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा।
- 141 समिति उक्त भूमि लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना-2001 के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजन हेतु आरक्षित है, जिसका समायोजन यथा सम्भव न्यायालय के आदेश दिनांक 15.9.99 एवं शासनादेश दिनांक 12.6.99 के परिप्रेक्ष्य में आवारसीय समिति हेतु किया जाना है। इसलिए उक्त भूमि का भू-उपयोग व्यावसायिक से आवारसीय परिवर्तन हेतु शासन को विषय संदर्भित करने से पूर्व प्राधिकरण बोर्ड से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

भू-उपयोग के परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। चूंकि मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.9.99 में प्रकरण के निस्तारण हेतु एक माह का समय निर्धारित किया गया है। अतएव उचित होगा कि समिति की भूमि को समायोजित किये जाने के पूर्व उक्त भूमि के समायोजन तथा भू-उपयोग परिवर्तित किये जाने का अनुमति प्राधिकरण बोर्ड से "नाई करकुलेशन" प्राप्त करके शासन को यथाशीघ्र संदर्भित किया जाना समीचीन होगा, ताकि समयान्तर मा० उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया जा सके।


श्री जी०पी० श्रीवास्तव
मुख्य नगर नियोजक


श्री मन मोहन
वित्त नियंत्रक


श्री के०वी० सखरोना
लागत एवं वित्तीय परामर्शदाता


श्री सुनीता चतुर्वेदी
सचिव

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
LUCKNOW BENCH, LUCKNOW.

Writ Petition No.2(L/A) of 1997 —
River View Sahkari Avas Samiti Ltd, Noorjahan Manjil,
Hafiz Masta Lane, Sohbatiya Bagh, Raja Bazar, Lucknow
through its Secretary Sri Shababuddin s/o Abdul Gani
Khan. Petitioner.

Vs.

1. State of Uttar Pradesh through its Principal Secretary Housing Govt. of Uttar Pradesh, Civil Secretariat, Lucknow.
2. Commissioner, Lucknow Division, Lucknow and Chairman Lucknow Development Authority, Lucknow.
3. Vice Chairman, Lucknow Development Authority, Lucknow.
4. Superintending Engineer (Acquisition), Lucknow Development, Lucknow. Opp. Parties.

Lucknow Dated: 15.9.99

Hon. P.C. Verma, J.

Hon. Kamal Kishore, J.

Learned counsel for the L.D.A. Sri Krishna Chandra informs this court that a Sub Committee has been constituted in order to allot the land to the petitioner. The decision of the committee is still awaited. He prays for a month's time. Let the entire process including the allotment of land to the petitioner be made within a month. List after a month.

Sd/- P.C. Verma

Sd/- Kamal Kishore

15.9.99


Td. by *Handwritten signature*
20/9/99

TRUE COPY

Sd. by *Handwritten signature*

Sc.

Handwritten signature
20/9/99



विषय: जनपथ मार्केट स्थिति दुकान सं० बी-51 के बगल में स्थिति 84.43 व०मी० भूमि ग्राम विकास विभाग को आवंटित किये जाने से सम्बन्धित।

आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र दि० 30.3.99 द्वारा सूचित किया गया कि आर्थिक रूप से विपन्न ग्रामीण ग्राम्य विकास की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना का संचालन किया जा रहा है। इन महिलाओं द्वारा प्रशिक्षणोपरान्त तैयार किये गये सामान को यदि उचित स्थान पर विक्रीत किया जा सके तो जहाँ एक ओर इन निर्धन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर समाज को दैनिक उपयोगी वस्तुएँ कम कीमत पर उपलब्ध हो जायेगी। चूँकि कोई समुचित स्थान उपलब्ध नहीं है, अतः उपरोक्त योजना के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आयुक्त, ग्राम्य विकास ने जनपथ मार्केट में एक दुकान उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया तथा यह भी सूचित किया कि उपरोक्त विभाग शासकीय दर पर दुकान क्रय करने का इच्छुक है।

2- जनपथ मार्केट में दुकान सं० बी-51 के बगल में रिक्त भूमि पड़ी है जिसका क्षेत्रफल 84.43 व०मी० है। जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित दर की दोगुनी व्यवसायिक दर लगाते हुए एवं 10 प्रतिशत की वृद्धि सहित भूमि की लागत अन्तिम रूप से रु० 11,03,332.00 अपर आयुक्त ग्राम विकास विभाग लखनऊ को पत्र दि० 29.6.99 द्वारा सूचित की गई। आयुक्त ग्राम विकास विभाग ने अपने अ०शा०प० दि० 12.8.99 द्वारा सूचित किया गया उपरोक्त विभाग एक मुश्त धनराशि देने में असमर्थ है, अतः क्रिश्ते करा दी जाय। यदि उक्त स्थान पर भूमि देने में कोई कठिनाई है या किसी अन्य कार्य के लिए वह भूमि वांछित है तो जनपथ मार्केट में ही अन्य स्थान पर भी भूमि या दुकाने हैं। अतः निम्न प्रस्ताव है:

1- चूँकि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तथा वे अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उन्हें विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है जिसके लिए शासन एवं समाज का उत्तरदायित्व है। अतः गरीबी के उत्थान के लिये उपरोक्त विभाग (ग्राम्य विकास आयुक्त) को जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित बाजार दर पर भूमि उपलब्ध करा दी जाय तथा इस भूमि की नीलामी न की जाय।

11- आयुक्त ग्राम विकास विभाग द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार क्रिश्तों में भुगतान की सुविधा दे दी जाय।

विषय: स्कूल भूखण्डों के आवंटन के सम्बन्ध में।

गोमती नगर योजना/कानपुर रोड योजना/शारदा नगर योजना/सीतापुर रोड योजना/प्रियदर्शिनी योजना में रिक्त स्कूल भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित प्राधिकरण (बोर्ड) द्वारा गठित समिति की संस्तुति प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.7.99 में विषय संख्या-14 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई थी। प्राधिकरण द्वारा स्कूल भूखण्डों हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 26.6.99 में की गई संस्तुतियों अनुमोदित की गई तथा निर्देश दिया गया कि "विद्यालयों को मान्यता हेतु न्यूनतम जितनी भूमि आवश्यक हो, उतनी भूमि के आवंटन हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।" अतः उपाध्यक्ष ने निम्न बिन्दुओं के आधार पर भूमि की मात्रा कम करने का औचित्य पाया:-

1. भूमि प्राधिकरण की पूंजी सम्पत्ति है। अतः आवश्यकता से अधिक विद्यालयों को भूमि देने का कोई औचित्य नहीं है। अधिक भूमि को सुरक्षित रखा जाए।
2. विद्यालय अधिक भूमि लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए भूमि लेकर हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर तक कक्षाएँ चलाने लगते हैं और शासन पर उच्च स्तर के विद्यालयों हेतु मान्यता देने के लिए दबाव डालते हैं। इस प्रकार निर्धारित उद्देश्य का उल्लंघन होता है। यदि अन्यथा कोई कार्यवाही की जाती है तो उच्च स्तर से दबाव डलवाए जाते हैं।
3. विद्यालयों हेतु रियायती दर पर भूमि दी जाती है। अतः इसका दुरुपयोग विद्यालयों द्वारा उच्च स्तर के विद्यालय खोलकर या अन्य प्रयोजन हेतु किया जाता है।
4. शिक्षा विभाग के मानकों के आधार पर भूमि देकर जो भूमि शेष रहेगी, उसका उपयोग महायोजना के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।
5. चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्पवेल/स्लेज फार्म आदि बनाना है, और अधिक धन की आवश्यकता है, इसको दृष्टिगत रखते हुए, यदि कोई विद्यालय महायोजना में, वर्तमान में प्राविधानित मात्रा के अनुसार ही लेना चाहे तो उसे शिक्षा विभाग के मानकों के अतिरिक्त भूमि की वर्तमान आवासीय दर ली जाए।
2. उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उपाध्यक्ष ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री अशोक गांगुली से वार्ता करके विभिन्न विद्यालयों के लिए निम्न प्रकार भूमि की मात्रा निर्धारित की:-

1.	सहशिक्षा/छात्रों हेतु डिग्री कालेज के लिए	बीस हजार व0मी0
2.	छात्रों हेतु डिग्री कालेज	दस हजार व0मी0
3.	इण्टरमीडिएट स्तर तक के विद्यालयों/ सी0वी0एस्0ई0 विद्यालयों के लिए	आठ हजार व0मी0
4.	हाईस्कूल तक के विद्यालयों के लिए	चार हजार व0मी0
5.	जूनियर हाई स्कूल के लिए	चार हजार व0मी0
6.	प्राइमरी विद्यालयों के लिए	दो हजार व0मी0
7.	नर्सरी विद्यालयों के लिए	एक हजार व0मी0

3. इस सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का पत्र संख्या 1920/व0न02/लखनऊ वि0प्रा0/99-2000 दिनांक 20.8.99 जिसकी फोटो प्रति संलग्न है (संलग्नक-1), प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि सामान्यतः किसी विन्यास मानचित्र में सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत भूमि महायोजना मानकों के आधार पर चिन्हित की जाती है भूमि की मात्रा परिवर्तित किए जाने से इसका प्रभाव विन्यास मानचित्र पर पड़ेगा तथा विन्यास मानचित्र के पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी जो महायोजना में निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगा। अतः उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राधिकरण की आगामी बैठक में इस बिन्दु पर विचार करके निर्णय ले लिया जाए जिससे विन्यास मानचित्र महायोजना की भूमि आवंटन में विसंगति का निराकरण हो सके।

4. विद्यालयों/महाविद्यालयों के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना 2001 तथा शासनादेश संख्या 1704/9-आ-1-96 दिनांक 19 अप्रैल, 1996 के प्राविधान क्रमशः संलग्नक-2 व संलग्नक-3 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है।
5. उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उपरोक्तानुसार भूमि की मात्रा कम करके आवंटन पत्र निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं। तदनुसार आवंटन पत्र निर्गत कर दिए गए हैं। गोमती नगर विकास-2 के एक स्कूल भूखण्ड को छोड़कर।
6. अतः विषय निर्णय लेने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्नक (क) एवम् ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश
द, बन्दरिया बाग, लखनऊ-226004

दिनांक 28 सितम्बर 1999-2000

दिनांक 29.8.99

उपमा में,

31/11
50
विषय:

आ.सं.सं.अ.प्र.सं.
लखनऊ विभाग प्र.वि.सं.,
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 07.7.99 के सम्बन्ध में।

गहरी प्रिय,

सविध, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिसूचनांक: ए-252/सविध/99
दिनांक 31.7.99 के द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7.7.99 का कार्यपत्र प्राप्त
आ.सं.सं.अ.प्र.सं.

कार्यपत्र के मद्द संख्या: 14 जो कि 'सकल भू-समाप्ति के अर्थ में सम्बन्धित
भूमि' के अन्तर्गत में यह उल्लेख किया गया है कि 'सकल भू-समाप्ति की मान्यता हेतु न्यूनतम
जितनी भूमि आवश्यक है, उतनी भूमि के आवंटन हेतु समाप्ति को अग्रिम किया गया है।
अवकाश कराना है कि सामान्यतः किसी विन्यास मानपत्र में आवश्यक भूमि
विन्यासों के अन्तर्गत भूमि महायोजना मानकों के आधार पर विन्यास की जाती है। यद्यपि
में यह ज्ञात नहीं हो पाया कि विन्यासों की मान्यता हेतु न्यूनतम कितनी भूमि की
आवश्यकता है। यदि उपर्युक्त आवश्यकता विन्यास मानपत्र में प्रदर्शित भूखण्ड से विनिम्न है तो
ऐसी स्थिति में इतना प्रभाव विन्यास मानपत्र पर पड़ेगा तथा इसके पुनरीक्षण की आवश्यकता
होगी। महायोजना में निर्धारित मानकों के अनुसंधान नहीं होना इसके अतिरिक्त सम्बन्धित
नीति विषयक धारणा देश के अनुसंधान भी नहीं होगी।

अतः उचित होगा इस प्रकरण को पूर्ण तथ्यों सहित प्राधिकरण की अगली बैठक
में विचारार्थ प्रस्तुत कर निर्णय लिया जाय ताकि विन्यास मानपत्र, महायोजना तथा भूमि
आवंटन में सम्बन्धित विन्यास का निराकरण हो सके। यदि आप उचित समझे तो सतत लखनऊ
आवंटन की प्रक्रिया पर कार्यवाही स्थगित रखने के लिये उपरोक्त विकास प्राधिकरण को
निर्दिष्ट करने का कष्ट करें।

अभ्युपदेश,

पत्रांक एवं दिनांक संक्षिप्त:

संलग्नक 10 अनेका
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

व्यक्तिगत- लखनऊ विभाग प्र.वि.सं., लखनऊ को सूचनाएं एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक 10 अनेका
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

सुविधाओं एवं सेवाओं हेतु निर्धारित मानक

52

क्रम सं. वांछित सुविधायें	मानक	अपेक्षित क्षेत्र (प्रति इकाई)
1. शैक्षिक		
(1) नर्सरी तथा प्राथमिक विद्यालय	4000 जनसंख्या पर एक इकाई	0.5 हेक्टेयर मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में 0.4 हेक्टेयर प्रति इकाई उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में
(2) हाई स्कूल/दण्ड(पोस्टिण्ट कालेज	15,000 जनसंख्या पर एक इकाई	1.8 हेक्टेयर प्रति इकाई मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में। 1.5 हेक्टेयर प्रति इकाई उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में।
(3) महाविद्यालय	80,000 जनसंख्या पर एक इकाई	4.0 से 6.0 हेक्टेयर क्षेत्र में।
2. चिकित्सा		
(1) स्वास्थ्य केन्द्र	10,000 जनसंख्या पर एक इकाई	1.0 हेक्टेयर क्षेत्र (वर्गचौकी आयतों के साथ)
(2) सामान्य विधियोगालय	80,000 जनसंख्या पर एक इकाई	200 बीघाओं हेतु 4.0 हेक्टेयर क्षेत्र (स्टाफ भवन/रिजिस्ट्रार के भवन आवश्यक स्टॉफ आवास तथा याचक व गाई सम्मिलित हैं।)
3. व्यावसायिक सुविधायें		
(1) कर्मोन्निवन्द दुकानें	5000-6000 जनसंख्या (200 व्यक्तियों के लिए एक दुकान)	एक स्थल पर 15 दुकानों से अधिक नहीं।
(2) स्थानीय विपणन केन्द्र/रोफ्टोरेल विपणन केन्द्र	15000-20000 जनसंख्या (200 व्यक्तियों हेतु एक दुकान)	
(3) उप नगर केन्द्र	40000 से 100000 जनसंख्या के लिए	
(4) नगर केन्द्र	3 लाख से 5 लाख जनसंख्या	

प्रेषण,

श्री अश्वरूप प्रताप सिंह,
ग्राम सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

§1§ उपर्युक्त,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

§2§ जायदादा आयदा,
उत्तर प्रदेश जायदाद एवं विकास परिषद,
नया दिल्ली ।

जायदादा अनुभाग-1

तारीख : दिनांक : 19 अप्रैल-1996

विषय :

विकास प्राधिकरण एवं 30 प्र0 आवास एवं विकास-
परिषद की योजनाओं में विद्यमान/शैक्षिक संस्थाओं,
केन्द्रीय भूदान एवं हार्मिडे रिजोर्ट, टूरिस्ट रिजोर्ट के
लिए रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के
सम्बन्ध में ।

=====

महोदय,

मुझे यह ज्ञान का भंडार हुआ है कि शासनादेश संख्या-1206/
9-आ-1-1996, दिनांक 10. 3. 1996, संख्या-1296/111/9-आ-1-1996,
दिनांक 10. 3. 1996, संख्या-1537/9-आ-1-1996, दिनांक 10. 3. 1996
तथा संख्या-1430/9-आ-1-1996, दिनांक 27. 3. 1996 के द्वारा 30 प्र0
आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों द्वारा विक्रित कानोनियों
में विद्यमान/शैक्षिक संस्थाओं, केन्द्रीय भूदान एवं हार्मिडे रिजोर्ट आदि के
लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण
की गयी है। उक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्थाओं को एकीकृत कर कठिनाय
नवीन व्यवस्था सहित आवास एवं विकास परिषद/विकास प्राधिकरणों की
योजनाओं में निम्नलिखित रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराये जाने का

...../2/

शासन द्वारा विचारोपरान्त तय किया गया है :-

क्रमांक	प्रयोजन	भूमि का क्षेत्र	दर
1	2	3	4

- 1- नदी किनारे एवं प्राथमिकी स्तरीय क्षेत्रों में मान्यता देने वाले प्राथमिकी द्वारा निर्धारित न्यूनतम भूमि।
- 2- जूनियर हाई स्कूल व हाई-स्कूल।
- 3- पुण्डरीक कमेज
- 4- डिग्री कलेज/पोस्ट ग्रेजुएट/भिविजोन्ट इंस्टीट्यूट/ग्रिगुन इंस्टीट्यूट।
- 5- इंजीनियरिंग कलेज
- 6- मेडिकल कलेज
- 7- जिला मुख्यालय के विभिन्न छोटे आकार के भूखण्डों में भूमि जिस पर कोई भी निर्माण नहीं होना है तथा मोल्क बोर्ड, पुस्तकालय भवन आदि के लिए ऐसे जिले के बड़े भूखण्ड, जल प्रकल्प, पानी की अन्य परियोजनाएं जिनमें निर्मित क्षेत्र 2 प्रयोजन से अधिक न हो।
- 8- जिला मुख्यालय के लिए छोटी व बड़ी भूमि पर जिला मुख्यालय के लिए किसी भी भूखण्ड की भूमि के लिए।

सेक्टर दर का 40%

50%

50%

सेक्टर दर का 2 प्रतिशत वार्षिक तात्कालिक मूल्य के आधार पर।

सेक्टर दर का 50%

...../3/

54

1	2	3	4
---	---	---	---

9- गहर की पानी बहाती के वॉल एण्ड गेजटर दर का 50, गहर हाकिडे रिहाई, हरिहर रिहाई हेतु ।

§ क्रमांक 9 पर अंकित प्रयोजन के लिए वॉल एण्ड गेजिंग सीमा से अधिक भूमि की मांग लिये जाने पर भूमि आसंटन के सम्बन्ध में निर्णय प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा ।


2- उपरोक्त के अतिरिक्त खनिज हाई स्कूल के लिए 2.5 एकड़ तथा इण्टरमीडिएट, डिग्री कॉलेज व पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के रेल के मैदान के निधि 5.00 एकड़ भूमि जलम से उचित शैक्षिक संस्थाओं के सम्मुख अंकित दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी ।

3- उक्त में विद्यार्थियों/शैक्षिक संस्थाओं की भूमि के मूल्य के अदायगी की शर्त निम्नवत् होगी :-

1. कुल मूल्य का 25 प्रतिशत आसंटन के समय ।
2. अवशेष 75% धनराशि वॉल साताना खिचो में 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर निश्चित समय में मुआवजा करने पर ब्याज में 3.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी ।

4- हाकिडे रिहाई, हरिहर रिहाई हॉटेल के लिए भूमि के मूल्य की अदायगी की शर्त संबंधित अभिकरण द्वारा उभरे तौर से निर्धारित की जायेगी ।

5- आः दृश्यता तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का ब्यट करे।

भारतीय,

 अखण्ड प्रताप सिंह
 प्रमुख सचिव ।


संख्या- /11/9-80-1-90, तद्विनिर्दिष्ट ।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- § 1 § अतिरिक्त/अध्याय, विभागाध्यक्ष एवं निविदा देन विकास प्राधिकरण
- § 2 § मुख्य गहर एवं ग्राम निषेधक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- § 3 § आचार्य प्रमुख 2/3


आज्ञा से,


 श्रीधर नन्दन §
 सहायक सचिव ।

विषय: सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा 4-बी0एन0रोड पर स्थित भूखण्ड पर टाइप-11 के आवासीय भवन के निर्माण हेतु रोड वाइडनिंग में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव: सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा 4-बी0एन0रोड (चौलकखी लेन) पर स्थित भूखण्ड, जिसका क्षेत्रफल 258.32 वर्गमी0 है, पर सैनिकों के कल्याण हेतु आवासीय मानचित्र प्रस्तुत किया गया है, महायोजना 2001 के अनुसार मानचित्र स्वीकृति हेतु कम से कम 9.0 मीटर चौड़ी सड़क का होना आवश्यक है परन्तु प्रसंगित भूखण्ड के सामने लेन की चौड़ाई 4.5 मी0 है। इस भूखण्ड के आस-पास अधिकतर सभी भूखण्डों पर मकान निर्मित हो चुके हैं और जिस लेन पर प्रश्नगत भूखण्ड स्थित है, की लम्बाई लगभग 175 मीटर है और यह आगे चलकर बन्द हो जाती है। अतएव ऐसी स्थिति में रोड वाइडनिंग हेतु भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना नगण्य प्रतीत होती है। पक्ष द्वारा भूखण्ड की वर्तमान स्थिति को को दृष्टिगत रखते हुए रोड वाइडनिंग में छूट चाही गयी है।

अतः सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त सन्दर्भित स्थल पर आवासीय भवनों के निर्माण हेतु रोड वाइडनिंग में छूट दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


B.

विषय: प्रियदर्शिनी योजना में आंशिक भूमि के भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रियदर्शिनी योजना नामक भूमि का अधिग्रहण वर्ष, 1986 में किया गया था। तत्काल प्रभावी महायोजना अनुसार उक्त भूमि का भू-प्रयोग आवासीय निर्धारित था। कदाचित इस योजना के समीपस्थ मण्डी स्थित होने के कारण जब लखनऊ नगर की संशोधित महायोजना 2001 तैयार की गई तो मण्डी के भावी विकास हेतु मण्डी से संलग्न भूमि का भू-प्रयोग होल सेल मण्डी (सी.एस.) परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार से विकास प्राधिकरण द्वारा जो भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु अर्जित की गई थी उसका भू-प्रयोग होल सेल मण्डी हेतु निर्धारित हो गया है। विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई भूमि का विवरण संलग्न है।

इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में ही अधिकांश भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा स्थल पर भवनों का निर्माण भी प्राधिकरण द्वारा तथा विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जा चुका है तथा अनेकों निजी भवन भी निर्मित हो चुके हैं। इस भूमि पर आवासीय योजना चलाए जाने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्राधिकरण के समक्ष उक्त भूमि का भू-प्रयोग होल सेल मण्डी (सी.एस.) से आवासीय (आर-2) में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है।

D. C. R. P.

विषय: गोमती नगर स्थित विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किए जाने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर स्थित विश्वास खण्ड में सामुदायिक सुविधाओं हेतु भूमि का प्राविधान किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की विगत बैठक में विषय संख्या-27 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव में प्राधिकरण द्वारा भवन संख्या 2/85 से 2/88 के सामने स्थित पार्क के भू-उपयोग को सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तित किए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। लिपिकीय त्रुटि के कारण उक्त बैठक में उपर्युक्त भवन संख्या-3/288 एवं 3/286 के स्थान पर 2/85 एवं 2/88 अंकित हो गया था परन्तु बैठक के निर्णय के अनुपालन में उक्त में सुधार कर लिया गया है।

उपर्युक्त निर्णय के अनुक्रम में प्रश्नगत भूमि के भू-प्रयोग को पार्क से सामुदायिक सुविधाओं में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में जनसाधारण से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने हेतु एक अधिसूचना 'द टाइम्स आफ इण्डिया', लखनऊ तथा 'स्वतंत्र भारत', लखनऊ के दिनांक 19.8.99 के संस्करण में प्रकाशित कराई गई। उक्त अधिसूचना के माध्यम से 30 दिन के अन्दर जनसाधारण से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित अवधि में दो आपत्तियाँ क्रमशः गोमती नगर जन कल्याण समिति, विश्वास खण्ड, गोमती नगर तथा श्री ए.पी.जे. क्लीफर्ड, 3/288, विश्वास खण्ड, गोमती नगर वगैरह द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

उपर्युक्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु उप समिति के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

D. C. P.

विषय: गोमती नगर योजना स्थित विराज खण्ड की सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाएं भू-प्रयोग की भूमि को आवासीय प्रयोजन में परिवर्तित किए जाने के सम्बन्ध में विचार।

उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण की गत बैठक में अनुपूरक विषय संख्या-1 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे की रेलवे लाइन से संलग्न फैजाबाद मार्ग की ओर विराज खण्ड की 89.80 एकड़ भूमि के 50 प्रतिशत के भू-भाग का भू-प्रयोग सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाओं से आवासीय § आर-2 § में परिवर्तित करने का प्रस्ताव इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि विभूति खण्ड में सामाजिक/सांस्कृतिक संस्थान एवं सेवाएं के कार्यालय हेतु उपलब्ध कराई भूमि से सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों का उनके कार्यालय परिसर के समीप आवासीय परिसर हेतु भूमि उपलब्ध कराई जा सके तथा साथ ही साथ विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त अनिस्तारित भूमि का निस्तारण भी हो सके। प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनरीक्षित करके प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

उपर्युक्त क्रम में योजना का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के समय यह अनुभव किया गया कि प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर में जो खण्ड अब तक विकसित किये गये हैं उनको दृष्टिगत करते हुए सामुदायिक सुविधाओं एवं सेवाओं हेतु भूमि की मात्रा अधिक है। फलस्वरूप इस भूमिकविकास नहीं हो पा रहा है तथा इसकी मांग भी न्यून है। भविष्य में गोमती नगर में कठौता झील के आस-पास आवासीय विकास प्रस्तावित है। इस हेतु सामुदायिक/सांस्कृतिक सुविधाओं एवं सेवाओं की भूमि की आवश्यकता होगी। उल्लेखनीय है कि इस झील के साथ बाइर वर्स का निर्माण भी किया जाना है। जिस हेतु सामुदायिक सुविधाओं/सेवाएं भू-प्रयोग की भूमि की आवश्यकता होगी। अतः प्रस्ताव है कि विराज खण्ड की लगभग 40 एकड़ भूमि जिसका कि भू-प्रयोग सामुदायिक एवं सांस्कृतिक सेवाएं है, को आवासीय § आर-2 § में परिवर्तित कर दिया जाय तथा इतनी ही भूमि को कठौता झील के पास आवासीय से सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/सेवाओं के अन्तर्गत परिवर्तित किया जाय।

प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

D. C. P.

विषय: गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवंटित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" से "वाणिज्यक, खण्डीय विपणन केन्द्र" तथा सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट को आवंटित भूमि के भू-प्रयोग "पार्क एवं क्रीड़ा स्थल" व "वाणिज्यक खण्डीय विपणन केन्द्र" से आवासीय में परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में।

गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन के निर्माण हेतु 7630वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त विभाग को रजिस्ट्री कराने के समय जो लीज प्लान अभियन्त्रण विभाग द्वारा —————-प्रस्तुत किया गया था उसमें मनोरंजनात्मक (पार्क एवं क्रीड़ा स्थल) की भूमि सम्मिलित हो गई थी जिसका भू-उपयोग परिवर्तन कराना नितान्त आवश्यक है ताकि इस विभाग के भवन मानचित्र को तदनुसार स्वीकृति प्रदान की जा सके।

इसी प्रकार सी.एस.आई. को प्राधिकरण द्वारा 13580वर्गमीटर भूमि आवंटित की गई है। इस भूमि का भू-प्रयोग लखनऊ नगर की महायोजना अनुसार आंशिक वाणिज्यक खण्डीय विपणन केन्द्र तथा आंशिक रूप से पार्क एवं क्रीड़ा स्थल है। प्रश्नगत भूमि पर प्राधिकरण द्वारा सिविल सर्विसेज ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया गया है। अतः भूमि के भू-प्रयोग को आवासीय में परिवर्तित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

पार्क एवं क्रीड़ा स्थल भू-प्रयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि के समतुल्य भूमि प्राधिकरण की योजनाओं में अन्यत्र प्राविधानित करा दी जाएगी। अतः उपर्युक्त भू-प्रयोग परिवर्तन विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

१८१.

विषय: उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 का संशोधन अधिनियम 1997 की धारा 26-ग की शक्तियों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के संशोधन अधिनियम 1997 की धारा 26-ग में प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है:-

{क} कोई ऐसी दीवाल, मेड़, कठघरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार कोई ऐसा स्थापक जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएं या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल निर्मित या संस्थापित किया जाय।

{ख} कोई दुकान, कुर्सी, बेंच, बवस, सीढ़ी सामान का गट्ठर तख्ता या अलमारी या अन्य कोई भी वस्तु जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गयी हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गई हो।

अतः उपरोक्तानुसार सड़क नाली आदि का अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु तत्काल कार्यवाही दृष्टिकोण से उक्त धारा का प्रतिनिधायन उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

विषय: मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी के निर्धारण से सम्बन्धित ।

प्रस्ताव: लखनऊ नगर के महायोजना 2001-2021 की संरचना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण की विगत बैठक में विषय संख्या-9 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया था जिसमें आवास आयुक्त तथा प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक द्वारा एजेन्सी के चयन हेतु अपनाई गई प्रक्रिया तथा प्रगति के सम्बन्ध में समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया था। प्राप्त हुए आपर में अत्यधिक वित्तीय भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा आवास आयुक्त एवं उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0ओसी0ई0एस0, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्विसेस, राईट्स तथा ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देशित किया गया था । इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से महायोजना की संरचना हेतु तकनीकी विधाओं जैसे-जी0आईएस0 व कम्प्यूटर इत्यादि के प्रयोग तथा तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति आदि को दृष्टिगत रखते हुए पुनः प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णयानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के कार्यालय के पत्र सं0: 6(1)/सीटीपी/कैम्प, दिनांक: 11.8.99 के माध्यम से पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त पत्र के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा पत्र सं0: 1048/व0नि0(2)/लखनऊ/महायोजना/99-2000, दिनांक: 3.11.99 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया जोकि संलग्नक-1 पर अवलोकनार्थ अवस्थित है । इस प्रस्ताव का परीक्षण आवास आयुक्त, उ0प्र0 तथा उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा किया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में महायोजना की संरचना में होने वाले व्यय तथा महायोजना पूर्ण किये जाने हेतु समयावधि का उल्लेख नहीं किया गया है, फलस्वरूप उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पुनः दिनांक: 5.11.99 को पत्र संख्या: 121/सीटीपी/वीसी/कैम्प द्वारा

(2)

उपर्युक्त सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया गया है। सूचना अभी तक अप्राप्त है ।

चूंकि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः महायोजना की संरचना हेतु उपरोक्त तथ्यात्मक टिप्पणी प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

7, बन्दरिया बाग, लखनऊ-226001

पत्र संख्या 1040 / वनि 21 / लखनऊ-महायोजना/99-2000

दिनांक 3.11.1999

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय:- लखनऊ नगर की महायोजना-2001-2021 की संरचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 6111 सी0वी0पी0/केम्प दिनांक 11.8.1999 का सन्दर्भ ग्राहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 27.11.98 में विषय संख्या-9 के अन्तर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को अभिकरण घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया था। उक्त परम्परागत रूप से विगत 50 वर्षों से प्रदेश के विभिन्न नगरों की महायोजना तैयार करने का कार्य शासन की अपेक्षानुसार नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा ही किया जाता रहा है। बैठक में चर्चा के समय यह विचार रखा गया था कि लखनऊ विकास क्षेत्र की उक्त महायोजना बनाये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को अभिकरण के रूप में लिया जा सकता है, परन्तु इसके साथ स्वाति प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं से महायोजना तैयार करने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से आफर्स रंग कर उनका परीक्षण कर लिया जाय। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर के निजी संस्थाओं से निविदाएँ प्राप्त की गईं, जिसके सन्दर्भ में गठित समिति द्वारा विचार कर संस्तुति दी गई। प्राप्त आफर्स के क्रितीय और प्रसेप्ट में भिन्नता होने के कारण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रस्ताव पर पुनः विचार किये जाने का निर्णय लिया गया तथा विभाग द्वारा महायोजना की संरचना हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आधुनिक तकनीकी विधाओं जैसे-जी0आई0एस0 एवं कम्प्यूटर आदि के साथ-साथ विशेषज्ञों की नियुक्तियाँ किये जाने पर विभाग का प्रस्ताव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

इस सन्दर्भ में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 में उपलब्ध सुविधाओं एवं साधनों और इसके साथ-साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपलब्ध सुविधाओं एवं

ATP (R)
6/11/99

लखनऊ कार्यलय
226073/4000
दिनांक 3/11/99

लखनऊ विकास प्राधिकरण

क्र.सं. 1589/Secy
दिनांक 5/11/99

संसाधनों का अध्ययन किया गया। अध्ययन के पश्चात यह पाया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस सन्दर्भ में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करने पर यह स्पष्ट हुआ कि प्राधिकरण में उपलब्ध सभी प्रकार की सुविधाओं का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सकता है तथा कार्य को सुचारू रूप से सम्पादन करने हेतु एक कम्प्यूटर यूनिट नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० में भी प्राधिकरण के माध्यम से स्थापित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।


महायोजना तैयार करने में प्रमुख रूप से दो तरह के कार्य किये जाने अपेक्षित हैं। सर्वप्रथम नगर के वर्तमान विकास एवं भू-उपयोग को दर्शित करते हुए लखनऊ नगर का आधार मानचित्र तैयार करने का कार्य किया जाना होगा। आधार मानचित्र के तैयार करने के साथ ही विभिन्न प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्रोतों से सूचनायें संकलित कर वर्तमान अध्ययन एवं सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा तथा इसके साथ-साथ जी०आई०एस० एवं कम्प्यूटर तकनीक का उपयोग कर महायोजना का एक प्रारूप तैयार किया जाना होगा। उल्लेखनीय है कि नगर के आधार मानचित्र को तैयार करने के लिए प्राधिकरण में उपलब्ध 83-84 के हवाई सर्वेक्षण शीटों के मानचित्र को आधार के रूप में उपयोग करते हुए इसे अप-डेट करने हेतु सैटेलाइट इमेजरी तथा सम्बन्धित आंकड़ों की आवश्यकता होगी, जिससे अद्यतन विकास सम्बन्धी सूचनायें जी०आई०एस० इनवायरमेन्ट में उपलब्ध मानचित्रों पर सुपरइम्पोज कर आधार मानचित्र तैयार करने की कार्यवाही करनी होगी। इसके अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य एजेन्सीज द्वारा विकसित कलोनियों के मानचित्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपलब्ध कम्प्यूटर के उपयोग से डिजिटल कर के उसे आधार मानचित्र में सम्मिलित किया जाना होगा। आवश्यकता पड़ने पर कुछ क्षेत्रों के भौतिक सर्वेक्षण भी करा कर आधार मानचित्र को अप-डेट किया जाना होगा। अतः ऐसी स्थिति में विभाग का यह प्रस्ताव है कि इस कार्य में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई०आई०आर०एस०) देहरादून से अवश्य सहयोग लिया जाये। इस सन्दर्भ में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आई०आई०आर०एस०) देहरादून के अधिकारियों से प्रारम्भिक चर्चा करने पर उनके द्वारा इस क्षेत्र निम्न तिन प्रकार से सहयोग की सम्भावना व्यक्त की गई है:-

- 1- सलाहकार के रूप में।
- 2- उनके साथ संयुक्त रूप से आधार मानचित्र एवं महायोजना तैयार करने के कार्य का सम्पादन।
- 3- महायोजना से सम्बन्धित किसी विशिष्ट कार्य को जाव के आधार पर कराया जाना।

अतः प्राधिकरण द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार कर निर्णय लिया जाना
वैकल्पिक होगा:-

- 1- विभाग के माध्यम से लखनऊ नगर की मध्ययोजना-2021 तैयार करवाने हेतु
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० को अभिकरण घोषित किया जाये।
- 2- भारतीय सुदूर संचिदन संस्थान {आई० आई० आर० एस०} देहली के विस्तृत
प्रस्ताव ब्यौरे देकर सडभांगित्त/सडयोग पर सडमति/ प्रस्ताव प्राप्त कर लिया
जाय। तत्पश्चात उनके परामर्श पर राष्ट्रीय सुदूर संचिदन अभिकरण {एन०
आर० एस० ए०} से आवश्यक सैटेलाइट स्पेसरीज तथा अंकड़ा प्राप्त किया
जाये।
- 3- विभाग में उपरोक्त उल्लिखित सुविधाओं {कम्प्यूटर इत्यादि} की व्यवस्था
सुनिश्चित कराई जाय।


भवदीय,


{एम०पी०अनेजा}

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि मुख्य नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण लखनऊ को सूचनाएँ प्रेषित।


{एम०पी०अनेजा}

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

मुख्य अभियन्ता L.D.A

डा० सियाराम

वाणिज्य संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय



आवास : 323715

दूरभाष : क्लब : 325827

संकाय : 370810

To,

The Chairman,
Lucknow Development Authority,
Lucknow.

Sub : Agenda item to be kept in the Board Meeting
to be held on 10.11.99, at 3 P.M. i.e. today.

Ref : Letter No. R 481/Sec/D.A./99 dt. 3.11.99

Sir,

It is to submit to your kind notice that a two percent reservation quota is provided to the employees and officers of the L.D.A. at the time of allotment in any scheme of L.D.A. The same facility should be provided to the Board Members of L.D.A. also. Therefore, an agenda item on the above should be kept in the Board Meeting today for the approval of Hon'ble Board.

Thanking you,


With regards,

(SIYA RAM)

Proffesor & Member,
L.D.A.

Copy to :

1. Vice Chairman, L.D.A.
2. The Secretary, L.D.A.
3. All Board Members.


9.11.99

(SIYA RAM)

विषय: गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में भवन संख्या:2/195 "ब" प्रकार पर लगाये गये दण्ड व्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:-

श्रीमती मीनू वालिया को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विराट खण्ड में "ब" प्रकार का पूर्ण निर्मित भवन संख्या:2/195 आवंटित है। देय धनराशि विलम्ब से जमा किये जाने के कारण रु0:83,459-25 पै0 दण्ड व्याज उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 28.11.97 द्वारा माफ किया जा चुका है। श्रीमती वालिया द्वारा अनुरोध किया गया है कि अवशेष 50% दण्ड व्याज भी माफ कर दिया जाये, चूँकि शेष 50% व्याज माफ करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है। अतः अवशेष 50% दण्ड व्याज माफ किये जाने का प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।



23.10.97

विषय संख्या: 14

पृष्ठ संख्या: 62

विषय: मास्टर प्लान तैयार किये
जाने हेतु एजेन्सी के
निर्धारण से सम्बन्धित।


मास्टर प्लान तैयार
करने हेतु एजेन्सी
के निर्धारण से सम्बन्धित
प्रस्ताव अलग से
बैठक के समय प्रस्तुत
किया जायगा।

विषय: श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, अपर जिला जज, उन्नाव को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित अर्द्धनिर्मित भवन संख्या:अ-3/18 के स्थान पर विजयन्त खण्ड में "बी" श्रेणी के भूखण्ड परिवर्तन/समायोजन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:

श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा को गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में "अ" श्रेणी का अर्द्धनिर्मित भवन संख्या-3/18 आवंटित हुआ था। श्री मिश्रा द्वारा धनराशि ₹0 5,59,914=00 जमा की जा चुकी है। श्री मिश्रा द्वारा अनुरोध किया गया है कि उक्त भवन का स्थल पर विकास कार्य पूर्ण नहीं है, इसलिये उन्हें उक्त भवन के स्थान पर "बी" श्रेणी का भूखण्ड किसी विकसित खण्ड में परिवर्तित कर दिया जायें। श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा के अनुरोध पर इन्हें गोमती नगर योजना के विराट खण्ड में आवंटित उपरोक्त भवन के स्थान पर गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में भूखण्ड संख्या:बी-2/48 प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.4.99 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।

अतः कृपया स्वीकृति की प्रत्याशा में किये गये परिवर्तन/समायोजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।




विषय: डा0 विजय शंकर शुक्ला को गोमती नगर योजना के विभव खण्ड में आवंटित भूखण्ड संख्या:बी-3/212 पर लगाये गये दण्ड ब्याज की पूर्ण धनराशि को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:

डा0 विजय शंकर शुक्ला को गोमती नगर योजना के विभव खण्ड में भूखण्ड संख्या:बी-3/212 आवंटित है। विलम्ब से भूखण्ड की देय धनराशि को जमा किये जाने के कारण आवंटी के अनुरोध पर देय दण्ड ब्याज की धनराशि का 25% दिनांक 24.4.99 को एवं 25% दिनांक 28.8.99 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा माफ किया जा चुका है। डा0 शुक्ला पर दण्ड ब्याज की धनराशि रु0:1,01,509-55 पेसे अब भी देय है। श्री शुक्ला द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में उन्हें जो भूखण्ड आवंटित किये गये वह पूर्णतया विवादित थे, इसलिये लगाये गये दण्ड ब्याज की धनराशि को माफ कर दिया जाय। दण्ड ब्याज की पूर्ण धनराशि को माफ किये जाने का अधिकार प्राधिकरण बोर्ड में निहित है।

अतः डा0 शुक्ला को उपरोक्त आवंटित भूखण्ड पर लगाये गये दण्ड ब्याज की पूर्ण धनराशि को माफ किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक: 10 नवम्बर, 1999
का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 1. | श्री सौरभ चन्द्र | अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल। |
| 2. | श्री विनोद शंकर चौवे | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. | श्री एन. रविशंकर | आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद। |
| 4. | श्री संजय अग्रवाल | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 5. | श्री एम.पी. अनेजा | मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ०प्र०। |
| 6. | श्री आर.सी. अस्थाना | मुख्य अभियंता
जलनिगम(मध्य), लखनऊ। |
| 7. | श्री बी.बी.सिंह | क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी,
प्रतिनिधि, महानिदेशक, पर्यटन |
| 8. | श्री विजय शंकर वाजपेयी | सदस्य/सभासद, नगर निगम। |
| 9. | श्री शिव कुमार | सदस्य/सभासद, नगर निगम। |
| 10. | श्रीमती उमाशंकर लोधी | सदस्य/सभासद, नगर निगम। |
| 11. | डा० सियाराम | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 12. | श्री राम अघार सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 13. | श्री जयपाल सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |

अन्य उपस्थिति:

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 14. | श्रीमती सुनीता चतुर्वेदी | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
|-----|--------------------------|-----------------------------|

विषय संख्या: 1

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 1999
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 1999
के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। विषय संख्या: 14 पर स्कूल
भूखण्डों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में मुख्य नगर
एवं ग्राम नियोजक से प्राप्त टिप्पणी के सम्बन्ध में निर्देश दिये
गये कि पुर्नविचार हेतु प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या: 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 7 जुलाई, 1999 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

1. विषय संख्या: 2 के बिन्दु संख्या: 1 पर निर्देश दिये गये कि इन्दिरागंधी प्रतिष्ठान में कनवेंशनल सेन्टर/होटल के निर्माण के सम्बन्ध में शासन स्तर पर हुई बैठक का कार्यवृत्त व्यवितगत प्रयास कर संयुक्त सचिव-बी, श्री एस.बी.भारती एक सप्ताह के अन्दर शासन से प्राप्त करें।

कार्यवाही: संयुक्त सचिव-बी

2. (क) विषय संख्या: 3 के बिन्दु-1 जो सीतापुर रोड, जानकीपुरम स्थित नाले में सहारा स्टेट के पानी के बहाव से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा यह जानकारी चाही गई कि क्या सहारा स्टेट का मानचित्र स्वीकृत करते समय उनसे बाह्य विकास शुल्क के रूप में जो धनराशि प्राप्त की गई है उसमें जल निस्तारण शुल्क को भी सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। यह भी निर्देश दिये गये कि वर्तमान में जो नाला है उसकी क्षमता का अंकलन भी मुख्य अभिभंता/मुख्य नगर नियोजक पन्द्रह दिन के अन्दर करके अपनी आख्या प्रस्तुत करें। अवगत कराया गया कि जलनिगम द्वारा नाले की क्षमता के अंकलन के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है।

कार्यवाही: मुख्य नगर नियोजक

(ख) बड़ी कालोनीज एवं बहु उद्देशीय भवनों के सामयिक निरीक्षण किये जायें। अधिशासी अभिभंता (भवन) एवं संयुक्त सचिव संयुक्त रूप से माह में कम से कम एक बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि भवन/कालोनी का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया जा रहा अथवा नहीं। यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है तो समयबद्ध विधि सम्मत प्रभावी कार्यवाही की जाये परन्तु यह भी ध्यान रखा जाये कि इसमें किसी पक्ष का हरेसमेन्ट नहीं हो।

कार्यवाही: संयुक्त सचिव-ए / अधिशासी अभिभंता (भवन)

{ग} कालोनीज/बहुउद्देशीय काम्पलेक्स के ले-आउट स्वीकृत करते समय सीवर/वर्षा के पानी के निस्तारण तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के प्लान का भी अनुमोदन प्रदान किया जाये। विकास शुल्क की गणना तदनुसार की जाये।

कार्यवाही: अधि०अभि०{भवन}{/}
मुख्य अभियन्ता

{घ} कानपुर रोड कालोनी के नालों की सफाई 31.3.2000 तक सुनिश्चित करा ली जाये।

कार्यवाही: मुख्य अभियन्ता

3. विषय संख्या: 12 लखनऊ विकास प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु समयबद्ध योजना तैयार की जाये। इस योजना के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव /संयुक्त सचिव/सम्पत्ति अधिकारी/अनुसचिवों को बड़े काम्पलेक्सेज/ भवनों में अनिस्तारित सम्पत्तियों के मासिक विक्री लक्ष्य दिये जायें जिनकी प्रतिमाह समीक्षा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी एवं समीक्षात्मक आख्या प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

कार्यवाही: उपाध्यक्ष, ल. वि. प्रा.

4. विषय संख्या: 14 स्कूल भूखण्डों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुर्नविचार हेतु अलग से प्रस्तुत किया जाये।

कार्यवाही: लागत एवं वित्तीय परामर्शी.

5. विषय संख्या: 16 गोमती नगर विराम खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या: सी०पी०-1 के प्रकरण का परीक्षण कर 30 नवम्बर, 99 तक आख्या अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

कार्यवाही: उपाध्यक्ष, ल. वि. प्रा.

6. विषय संख्या: 20 श्री राज कुमार खन्ना, चौकीदार तथा उनके परिवार के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रकरण का परीक्षण तत्काल पूर्ण किया जाये।

कार्यवाही: मुख्य लेखाधिकारी

7. विषय संख्या: 23 श्री सरोज सिंह को अर्जित भूमि के बदले समायोजित भूखण्ड संख्या: 1/201{बी} विनीत के स्थान पर 1/208{बी} उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव को निरस्त किया जाता है चूंकि एक परिवार को जिसकी भूमि अर्जित की गई हो, को मात्र एक ही आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

कार्यवाही: अनुसचिव-आर

४

8. विषय संख्या: 24 एक योजना से दूसरी योजना में सम्पत्ति परिवर्तन के सम्बन्ध में यह अवश्य ध्यान रखा जाय कि भूखण्ड से भूखण्ड या भवन से भवन का परिवर्तन नहीं होगा बल्कि मालियत के हिसाब से मालियत {वैल्यू} का परिवर्तन किया जाये। भविष्य में इसी नीति का अनुसरण किया जाये।

कार्यवाही: समस्त संयुक्त सचिव
/सम्पत्ति अधिकारी

9. अनुपूरक विषय संख्या: 4 के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि सेना के अतिरिक्त अन्य अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद होने पर उन्हें भी रियायती दर पर भवन/भूखण्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में एक नीति बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

कार्यवाही: सचिव।

10. विगत बैठक के अन्य बिन्दु-1 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में कुर्सी, रोड पर गार्डन लीज के उल्लंघनकर्ताओं की सूची तैयार कर पन्द्रह दिन में प्रस्तुत करें।

कार्यवाही: श्री टी.सी. पाण्डे
अधिसारी अभियंता-प्रवर्तन-11

11. अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त यह भी निर्देश दिये गये कि पूर्व की बैठकों में लिये गये समस्त अनिस्तारित निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति से भी आगामी बैठकों में आख्या उपलब्ध कराई जाया करें।

कार्यवाही: सचिव।

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की प्रगति आख्या।

निर्णय:

प्रस्तुत प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये:-

{क} तीन दिन के अन्दर अधीक्षण अभियंता समस्त उन पार्को की सूची उपलब्ध कराये जिनमें वृक्षारोपण किया गया है। पार्को की सूची के साथ-साथ उन पार्को में नियुक्त किये गये मालियों के नाम का भी उल्लेख किया जाये। उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इसका सत्यापन कराये।

कार्यवाही: अधीक्षण अभियन्ता

क्रमशः...5

॥ख॥ कानपुर रोड पर जिन सड़को के कार्य कराये गये हैं उनकी सूची मुख्य अभियंता तीन दिन के अन्दर समस्त सदस्यों को उपलब्ध करायें।

कार्यवाही: मुख्य अभियन्ता

॥ग॥ दण्ड व्याज की माफी, सम्पत्ति के विरुद्ध बकाया एवं प्राप्त हुई धनराशि का आकलन दिया जाये ताकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर पड़ने वाले व्यय ज्ञात हो सके।

कार्यवाही: उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा.

विषय संख्या: 5

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में रिवर व्यु सहकारी आवास समिति को अर्जित भूमि के बदले समिति को 60% विकसित भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय:

विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि समिति की जिस भूमि को समायोजित किये जाने का प्रस्ताव है उसका भू-उपयोग व्यवसायिक है। अतः उस भूमि को प्राधिकरण अपने उपयोग में लाये। आवासीय भू-प्रयोग वाली भूमि में से समिति को अन्यत्र नियमानुसार अन्य शर्तों सहित 60% भूमि उपलब्ध करा दी जाये।

कार्यवाही: अधि०अभि०(अर्जन०)

विषय संख्या: 13

उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 का संशोधन अधिनियम 1997 की धारा 26ग की शक्तियों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

निर्णय:

निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव के दृष्टिगत संशोधित अधिनियम 1997 की धारा 26ग की शक्तियों का प्रतिनिधायन उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया जाता है।

विषय संख्या: 14

मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी के निर्धारण से संबंधित

निर्णय:

आवास आयुक्त श्री एन. रविशंकर द्वारा प्रकरण के विषय में प्रकाश डालते हुए विस्तृत रूप से मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में अब तक हुई कार्यवाही तथा अपनी संस्तुति से अवगत कराया गया। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा महायोजना की संरचना हेतु बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव पर आने वाले व्यय तथा समयावधि का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण उनसे विमर्श किया गया किन्तु उनके द्वारा स्पष्ट रूप से न तो धनक के विषय में और न ही समय सीमा के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई। उन्होंने यह भी इंगित

करने से इंकार कर दिया कि महायोजना की संरचना पर व्यय रु0 17.00 लाख से कम आयेगा। अतः अन्य सदस्यों से विचार विमर्श के उपरान्त उपसमिति की संस्तुति के आधार पर महायोजना की संरचना का कार्य कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज को उनके द्वारा प्रस्तुत आफर रु0 17.00 लाख पर कार्य देने का निर्णय लिया गया। कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज से अनुबन्ध एवं भुगतान हेतु शर्तों, आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही: मुख्य नगर नियोजक

अन्य विषय:

अशासकीय सदस्य डा0 सियाराम द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्राधिकरण के समस्त सदस्यों को भवन/भूखण्ड आबंटन में 2% आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाये। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समस्त सदस्यों के लिये 2% आरक्षण कोटे की स्वीकृति प्रदान की जाती है परन्तु धनराशि में कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

कार्यवाही: उपाध्यक्ष, ल. वि. प्रा.


समयाभाव के कारण उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव स्थगित किये गये। अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

ह0/- सुनीता चतुर्वेदी
सचिव

अनुमोदित

ह0/- सौरभ चन्द्र
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 लखनऊ।

प्रमाणित


॥ सुनीता चतुर्वेदी ॥
सचिव